भाग 4 (ग)

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई 2000

क्र. एफ.-1 बी-26-2000-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा पदोन्नति से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 है.

(2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में उनके प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रभावी होंगे.

2. **परिभाषायें.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है. मध्यप्रदेश शासन.

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग.

(ग) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम-11 के अधीन ली गई भरती के लिये प्रतियोगी परीक्षा.

(घ) ''शासन'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन.

(ङ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल.

(च) ''निरीक्षक'' से अभिप्रेत है जिला कार्यपालिक बल के उपनिरीक्षक की श्रेणी से पदोन्नत कोई अधिकारी; ''रक्षित निरीक्षक'' से अभिप्रेत है सूबेदार की श्रेणी से पदोन्नत कोई अधिकारी. अन्य शाखाओं जैसे रेडियों, एम.टी., प्रश्नास्पद दस्तावेज (क्यू.डी.) अंगुली चिन्ह (फिंगर प्रिंट) विशेष शाखा आदि के निरीक्षकों के लिये उनकी शाखा का उल्लेख इन नियमों में प्रत्येक स्थान पर विनिर्दिष्ट रूप से किया गया हैं.

(छ) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा तथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग.

(ज) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची.

(झ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(ञ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(ट) ''राज्य'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य.;

(ठ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (जनरल कंडीशन्स आफ सर्विस) रूल्स, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे, जैसा कि अनुसूची एक में उल्लिखित है.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(1) इन नियमों के प्रारम्भ पर अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किए गए व्यक्ति;

(2) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा में भरती किए गए व्यक्ति;

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किये गए व्यक्ति.

5. **वर्गीकरण वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उनसे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा :

परन्तु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. **भरती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भरती द्वारा;

(ख) अनुसूची चार के कालम 3 में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) विनिर्दिष्ट सेवाओं में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में उल्लिखित पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में उल्लिखित प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हए, भरती की किसी भी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में की किसी रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रोयजन के लिये अपनाये जाने वाला तरीका या तरीके और प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श से, अवधारित की जायेगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुये, ऐसा करना अपेक्षित होने पर, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भरती संबंधी उन तरीकों से भिन्न, जो उक्त उप नियमों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, ऐसा अन्य तरीका अपना सकेगा, जैसा कि उसके द्वारा, इस संबंध में जारी किये गए आदेश द्वारा विहित किया जाए.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् सेवा में सभी नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा ही की जायेंगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**—अभ्यर्थी को परीक्ष में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिये निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) **आयु.**—(क) उसने परीक्ष प्रारंभ होने की तारीख के बाद की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-तीन के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, और उक्त अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा, जो मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अधीन शिथिलनीय होगी :—

(एक) अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हों, की आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(दो) अभ्यर्थी, जो अस्थायी पद धारण कर रहा हो और किसी दूसरे पद के लिये आवेदन कर रहा हो, की आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—शब्द ''छंटनी किया गया सरकारी सेवक'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्ही भी संघटक इकाईयों की सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(घ) कोई अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्ष सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी थी या जिसे अतिशेष घोषित किया गया था :—

(एक) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार भर्ती किया

गया हो; और :—

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) अभ्यावेशन (एनरोलमेन्ट) की शर्तें पूर्ण हो जाने पर;

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(तीन) अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पकालीन सेवा के, नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं) उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;

(चार) अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छह मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गए अधिकारी;

(ङ) विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के लिये भी उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) ''विक्रम पुरस्कार'' धारण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हों, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 33 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ञ) स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा, उनके द्वारा की गयी सेवा की कालावधि के लिए 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टिप्पणी.—(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) और उपखण्ड (झ) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत चयन के लिये सम्मिलित किया गया है, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् चयन के या तो पहले अथवा बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी की जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

टिप्पणी.—(2) किसी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएगी.

टिप्पणी.—(3) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिए उपसंजात होने हेतु उनके नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) **शारीरिक अर्हता.**—अभ्यर्थी की निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएं होनी चाहिए, इस संबंध में उसको शपथ-पत्र देना होगा :—

(क) **ऊंचाई.**—168 सेंटीमीटर या उससे अधिक (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिये)

155 सेंटीमीटर या उससे अधिक (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये).

(ख) **सीना.**—बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के बगैर फुलाए हुए और फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अन्तर होना चाहिए. इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी. महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है.

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए.

(घ) अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (मेडिकली फिट) होना चाहिए. और दृष्टि जाँच (विजन टेस्ट) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिए. उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए. उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए.

(ङ) सीधी भरती वाले अभ्यर्थी, यदि वे ये मापदण्ड पूर्ण नहीं करते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे.

(3) **शैक्षणिक अर्हता.**—अभ्यर्थी के पास, अनुसूची तीन में सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, परन्तु.—

(क) आपवादिक मामलों में, आयोग, शासन की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किन्तु

जिसने किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो आयोग की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के विचारण के लिये पात्र बनाती हो.

(ख) आयोग अपने विवेकानुसार, ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी परीक्षा/चयन के लिए उपस्थित होने हेतु विचार कर सकेगा, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की हो जो शासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हो. और वे अभ्यर्थी भी नियुक्ति के पात्र होंगे जिन्होंने मध्यप्रदेश में स्थित यथास्थिति किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो या स्नातक उपाधि प्राप्त की हो.

(4) **फीस.**—अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.**—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये समर्थन प्राप्त करने हेतु किन्हीं भी साधनों से किया गया कोई भी प्रयास, आयोग द्वारा, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये उसे अनर्ह बनायेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चिय अंतिम होगा.**—परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

11. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**—(1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तराल से ली जाएगी जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करें;

(2) आयोग, शासन द्वारा जारी किये गए ऐसे आदेशों के अनुसार परीक्षा संचालित करेगा, जैसे कि शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से जारी किए जाएं;

(3) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखें जाएंगे, जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये आरक्षित हैं;

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों;

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया जाए, उप नियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) उपलब्ध रिक्तियों में से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए भी पद आरक्षित किए जाएंगे, जैसा कि गृह (पुलिस) विभाग द्वारा अनुसूची एक में वर्णित पदों के संबंध में लागू किया जाए.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) आयोग, अपने द्वारा निश्चित किये गये स्तर के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है किन्तु फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किए गए हों, शासन को भेजेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जाँच के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) आयोग द्वारा जारी की गई चयन-सूची, उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक विधि मान्य रहेगी.

13. **परिवीक्षा तथा प्रशिक्षण.**—(1) सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

(2) परिवीक्षा की कालावधि में विहित प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं और स्थलों में दिया जायेगा. उन अभ्यर्थियों के लिये, जो विहित स्तर प्राप्त करने में असफल रहते है, परिवीक्षा कालावधि बढ़ाई जा सकेगी. विहित परीक्षा और प्रशिक्षण, जैसा कि

समय-समय पर संचालित किया जाये, में विहित स्तरों से उत्तीर्ण होने में असफल रहने पर परिवीक्षा कालावधि बढ़ाई जा सकेगी तथा सेवामुक्त भी किया जा सकेगा.

(3) यदि कोई अभ्यर्थी, जिसे परिवीक्षा पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है, दिये गये दिनांक तथा स्थान पर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी. यदि अभ्यर्थी नियुक्ति के आदेश में विहित कालावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो नियुक्ति का आदेश रद्द कर दिया जायेगा.

14. **ज्येष्ठता तथा पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण.**—(1) एक कलेण्डर वर्ष में नियुक्त किये गये सेवा के सदस्य उत्तरवर्ती वर्षों में नियुक्त किये गये सेवा के सदस्यों से ''एकसाथ'' (एनब्लाक) ज्येष्ठ होंगे.

(2) एक चयनसूची से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये सेवा के सदस्यों की पारस्परिक ज्येष्ठता आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में प्राप्त किये हुये, कुल अंकों में, बुनियादी प्रशिक्षण में प्राप्त कुल अंकों को जोड़कर, जैसा कि नियम 13(2) में निर्दिष्ट है निर्धारित की जायेगी. यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान एक या अधिक विषयों या प्रश्नपत्रों, अथवा डिसीप्लीन में प्रथम प्रयास में अनुत्तीर्ण होता है या उपस्थित नहीं होता है और यदि वह उन्हें अगले प्रयास में सफलता पूर्वक उत्तीर्ण कर लेता है तो ऐसे विषय या प्रश्न-पत्र अथवा डिसीप्लीन के संबंध में प्राप्त अंकों को, पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित करने के लिये अंतिम प्राविण्य-सूची (मेरिट लिस्ट) में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग में जोड़ा नहीं जायेगा.

(3) **वरिष्ठता.**—किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जावेगी, अर्थात्:—

(क) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिए उनकी सिफारिश की जाती है.

(ख) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं तो उसी समय पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था.

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख, से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जाएगी.

(घ) सीधे भर्ती किए गए तथा पदोन्नति किए गए व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किए जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(ङ) यदि किसी सीधी भर्ती की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे, निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिए.

(च) यदि सीधी भरती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लॉक) सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे.

15. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची-चार के कॉलम 6 में वर्णित सदस्य होंगे. तथापि पदोन्नति समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्यों में से यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो इन प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के अन्य अधिकारी को विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जायेगा, और विभागीय पदोन्नति समिति की सदस्य संख्या अपेक्षित सीमा तक बढ़ाई गई समझी जायेगी.

(2) समिति की बैठक सामान्यतया प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार होगी.

16. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**—(1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल

प्रभाव डाले बिना पदोन्नतियाँ करने की प्रक्रिया केवल इन नियमों के अनुसार होगी.

(2) इस नियम के उप नियम (1) तथा नियम 21, 22 और 23 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुसूची-चार के कॉलम (3) में संबंधित पंक्ति के वर्णित पदों से, अनुसूची-चार के कॉलम (4) में वर्णित पदों पर पदोन्नति हेतु समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिवस को उतने वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हों, जैसा कि संबंधित पंक्ति के कालम (5) में वर्णित है और जो विचारण क्षेत्र में आते हों.

(3) पदोन्नति के लिये केवल व्यक्तियों की उतनी संख्या पर विचार किया जावेगा जो वर्तमान रिक्तियों तथा चालू वर्ष में उद्‌भूत होने वाली संभावित रिक्तियों की पूर्ति के लिये पर्याप्त हो :

परन्तु यह और कि सेवा में कनिष्ठ किसी व्यक्ति पर वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिये विचार केवल इस आधार पर नहीं किया जायेगा कि उसने उससे ज्येष्ठ व्यक्तियों से पूर्व सेवा की अर्हक अवधि पूर्ण कर ली है.

17. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**—(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 16 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपबन्धों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त ठहराया गया हो. यह सूची विद्यमान रिक्तियों तथा चयन सूची तैयार करने की तारीख से आगामी एक वर्ष के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी.

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति के आधार का निर्धारण) नियम, 1998 के अनुसार तृतीय श्रेणी के पद से द्वितीय श्रेणी के पद पर तथा द्वितीय श्रेणी के पद से द्वितीय श्रेणी के पद और द्वितीय श्रेणी के पद से प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिये व्यक्तियों की चयन-सूची तैयार करने के लिये मानदण्ड ''ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता (सीनियोरिटी सबजेक्ट टु फिटनेस होगा).

(3) ऐसी सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों के नाम ऐसी चयन-सूची तैयार किये जाने के समय, अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित हो तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के अपने कारणों को अभिलिखित करेगी.

18. **आयोग से परामर्श.**—जहां विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष, आयोग का अध्यक्ष या सदस्य हो तो यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया हैं. ऐसे मामलों में समिति की रिपोर्ट पर आयोग की पृथक् सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी.

19. **चयन-सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गयी सूची एवं समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों पर विचार करेगा और, जब तक वह कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों को समिति को सूचित करेगा तथा समिति की टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों, यदि कोई हों, के साथ अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा जो उसकी राय में न्यायपूर्ण तथा उचित हो.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कालम (3) में वर्णित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन-सूची होगी.

(4) चयन-सूची अनुमोदन के दिनांक से 12 माह तक वैध रहेगी जैसाकि उपनियम (3) में उल्लेख है. वैधता लोक सेवा आयोग की सहमति से 6 माह के लिये बढ़ाई जा सकेगी, किन्तु इस वृद्धि सहित कुल अवधि किसी भी प्रकरण में 18 माह से अधिक नहीं होगी :

परन्तु चयन-सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के पालन में गंभीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन-सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और विभागीय पदोन्नति समिति, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन-सूची से हटा सकेगी.

20. **चयन-सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन-सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को पदोन्नति पर नियुक्ति से पूर्व पदोन्नति पूर्व कोर्स करना होगा तथा उसे ऐसे स्तरों से उत्तीर्ण करना होगा, जैसा कि इस संबंध में समय-समय पर, शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये.

(2) चयन-सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग पदों पर नियुक्ति, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपबन्धों के अनुसार की जावेगी.

(3) चयन-सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जावेंगी जिसमें कि ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन-सूची में आये हों.

(4) सेवा में पदोन्नति से नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षण पर नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु जहाँ प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण यह अपेक्षित हो, वहाँ उस व्यक्ति को, जिसका नाम चयन-सूची में सम्मिलित न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि रिक्ति के तीन मास से अधिक जारी रहने की संभावना नहीं है.

(5) साधारणत: उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन-सूची में सम्मिलित है, नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तभी आवश्यक होगा, जबकि चयन-सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट आयी है, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी है जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बनाती हो.

21. **राज्य पुलिस सेवा के कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें.**—(1) राज्य पुलिस सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत केवल वही अधिकारी सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचार के पात्र होंगे जो—

(क) उस वर्ष की, जिस वर्ष के लिये चयन किया जाना है जनवरी माह की प्रथम दिनांक को सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में छह वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों; तथा

(ख) सीधी भरती के अधिकारी जिन्होंने यथास्थिति, सभी विषयों में विहित विभागीय परीक्षायें उच्च स्तर से उत्तीर्ण कर ली हो या जिन्हें उत्तीर्ण करने से राज्य शासन द्वारा, छूट दी गई हो.

(2) कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों में से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति हेतु चयन ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा जिसका गठन अनुसूची-चार में वर्णित है.

(3) चयन, सभी प्रकार से ''वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता'' के आधार पर किया जाएगा.

(4) इस ग्रेड में के अधिकारियों की कुल संख्या संवर्ग की प्रत्येक ब्रांच/स्ट्रीम की कुल संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. संवर्ग की प्रत्येक ब्रांच/स्ट्रीम (फीडर चेनल) में पदों की संख्या, अनुसूची-छह के कॉलम (6) में वर्णित किये गये अनुसार होगी.

टिप्पणी.—चयन-सूची तैयार करते समय संवर्ग की प्रत्येक ब्रांच/स्ट्रीम में स्वीकृत पदों की वास्तविक संख्या ध्यान में रखते हुए पदों की कुल संख्या निकाली जायेगी.

22. **राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु पात्रता की शर्तें.**—(1) राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत केवल वही अधिकारी सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिये विचार के पात्र होंगे जो उस वर्ष की, जिसमें चयन किया जाना है, जनवरी के प्रथम दिवस को सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों.

(2) सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों में से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु अधिकारियों का चयन ऐसी समिति द्वारा किया जायेगा जिसका गठन अनुसूची-चार में वर्णित है.

(3) चयन, सभी प्रकार से उपयुक्तता के अधीन रहते हुए ''योग्यता-सह-ज्येष्ठता'' (मेरिट-कम-सीनियारिटी) के आधार पर किया जाएगा.

(4) इस ग्रेड में के अधिकारियों की कुल संख्या, संवर्ग की प्रत्येक ब्रांच/स्ट्रीम की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. संवर्ग की प्रत्येक ब्रांच/स्ट्रीम(फीडर चेनल) में पदों की संख्या, अनुसूची-छह के कालम 7 में वर्णित किए गए अनुसार होगी.

टिप्पणी.—पदों की कुल संख्या, चयन-सूची तैयार करते समय, संवर्ग की प्रत्येक ब्रांच/स्ट्रीम में स्वीकृत पदों की वास्तविक संख्या को हिसाब में लेते हुए निकाली जावेगी.

23. **राज्य पुलिस सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्तें.**—(1) राज्य पुलिस सेवा के प्रवर श्रेणी में कार्यरत केवल वे अधिकारी सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र होंगे, जिन्होंने सेवा के सदस्य के रूप में उस वर्ष की पहली जनवरी को, जिसमें चयन किया जाना है, सेवा की प्रवर श्रेणी में कुल 6 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो.

(2) प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों में से सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु अधिकारियों का चयन ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा. जिसका गठन अनुसूची-चार में वर्णित है.

(3) चयन, सभी प्रकार से उपयुक्तता के अधीन रहते हुए ''योग्यता-सह-ज्येष्ठता'' (मेरिट-कम-सीनियारिटी) के आधार पर किया जाएगा.

(4) इस ग्रेड में के अधिकारियों की कुल संख्या, संवर्ग की प्रत्येक ब्रांच/स्ट्रीम की कुल संख्या के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. संवर्ग की प्रत्येक ब्रांच/स्ट्रीम (फीडर चेनल) में पदों की संख्या, अनुसूची-छह के कॉलम 8 में वर्णित किये गये अनुसार होगी.

टिप्पणी.—पदों की कुल संख्या, चयन-सूची तैयार करते समय, संवर्ग की प्रत्येक ब्रांच/स्ट्रीम में स्वीकृत पदों की वास्तविक संख्या को हिसाब में लेते हुए निकाली जावेगी.

24. **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापना के लिये पात्रता की शर्तें.**—(1) सेवा के केवल वे सदस्य, जो राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान या प्रवर श्रेणी वेतनमान या वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्य कर रहे हैं और अनुसूची-पाँच के कॉलम (4) में वर्णित पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप सेनानी या समतुल्य रेंक के पदों पर पदस्थापना हेतु विचार में लिये जाने के पात्र होंगे.

(2) पदस्थापना के लिए चयन, अनुसूची-पाँच के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट समिति द्वारा किया जायेगा.

(3) चयन सभी प्रकार से उपयुक्तता के अधीन रहते हुए ''योग्यता-सह-ज्येष्ठता'' (मेरिट-कम-सीनियारिटी) के आधार पर किया जायेगा.

(4) ज्येष्ठ वेतनमान में के किसी अधिकारी की ऊपर उप नियम (1) में यथावर्णित पदों पर पदस्थापना नहीं की जाने के कारण, सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान या वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिए विचार किया जाना वर्जित नहीं होगा.

25. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची-एक में सम्मिलित पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना वर्जित नहीं होगी.

26. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो उसे शासन को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा.

27. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जावेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसको ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु मामले में ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जायेगी, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

28. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में, शासन द्वारा, जारी किये गये आदेशों के अधीन उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं करेगी.

29. **निरसन तथा व्यावृति.**—इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरस्त किये जाते है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नन्हे सिंह, प्रमुख सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में विद्यमान पदों की संख्या

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	पदोन्नति कोटा के अधिकारियों की पदस्थापना हेतु पात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्राचार्य (पुलिस प्रशिक्षण शाला)	7	रा.पु.से./ प्रथम श्रेणी	रा.पु.से. का वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 14300—400—18300 या प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 12000—375—16500	राज्य शासन	(1) रक्षित निरीक्षक संवर्ग से पदोन्नत उप पुलिस अधीक्षकों के लिये- 03 पद (2) शेष पद निरीक्षक संवर्ग या सीधी भरती के उप पुलिस अधीक्षक, संवर्ग के लिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	प्राचार्य, यातायात पुलिस प्रशिक्षण संस्था	1	रा.पु.से./ प्रथम श्रेणी	रा.पु.से. का वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 14300—400—18300 या प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 12000—375—16500	राज्य शासन	निरीक्षक
3.	प्राचार्य, ए.पी.टी.सी.	1	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	कम्पनी कमाण्डर
4.	प्राचार्य, ए.पी.टी.एस. बारसूर	1	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	कम्पनी कमाण्डर
5.	सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर (कम्प्यूटर)	1	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (कम्प्यूटर)
6.	संचालक, अं.चि. (फिंगर प्रिन्ट्स)	1	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (अ.चि.)
7.	सहा. पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, प्राचार्य, विशेष शाखा प्रशिक्षण स्कूल	3+1=4	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	02 पद निरीक्षक वि. शाखा तथा 02 पद निरीक्षक हेतु.
8.	राज्य परीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)	2	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)
9.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी म.प्र.रा.स.प., निगम	2	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	01 पद निरीक्षक तथा 01 पद रक्षित निरीक्षक संवर्ग हेतु
10.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सु.एवं सत.) म.प्र.वि. मण्डल	1	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक
11.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्यमंत्री सुरक्षा	1	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (वि.शा.) अथवा निरीक्षक
12.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नारकोटिक्स)	75	—तदैव—	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 12000—375—16500 अथवा वरिष्ठ वेतनमान रु. 10000—325—15200	—तदैव—	निरीक्षक
13.	क्षेत्रीय अधीक्षक	7	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक, (वि.शा.) अथवा निरीक्षक
14.	उप सेनानी	24+1=25	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	कम्पनी कमाण्डर
15.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (रेडियो)	7	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (रेडियो)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एम.टी.)/सेनानी (जी.ई.एम.ई.)	3	रा.पु.से./ प्रथम श्रेणी	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 12000—375—16500 अथवा वरिष्ठ वेतनमान रु. 10000—325—15200	राज्य शासन	रक्षित निरीक्षक अथवा कम्पनी कमाण्डर
17.	अति. पुलिस अधीक्षक (बैण्ड)	1	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (बैण्ड)
18.	उप पुलिस अधीक्षक	452	रा.पु.से./ प्रथम श्रेणी/ द्वितीय श्रेणी	वरिष्ठ वेतनमान रु. 10000—325—15200 या कनिष्ठ वेतनमान रु. 8000—275—13500	राज्य शासन	निरीक्षक
19.	सहायक सेनानी	108	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	कम्पनी कमाण्डर
20.	उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो)	27	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (रेडियो)
21.	उप पुलिस अधीक्षक (एम.टी.)	10	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	रक्षित निरीक्षक अथवा कम्पनी कमाण्डर अथवा निरीक्षक (एम.टी.)
22.	उप पुलिस अधीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)	7	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)
23.	उप पुलिस अधीक्षक (कम्प्यूटर)	4	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (कम्प्यूटर)
24.	उप पुलिस अधीक्षक (अ.चि.)	5	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (अ.चि.)
25.	उप पुलिस अधीक्षक (फोटो)	1	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (फोटो)
26.	उप पुलिस अधीक्षक (बैण्ड)	1	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (बैण्ड)
27.	उप पुलिस अधीक्षक (प्रेस)	1	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (प्रेस)
28.	उप पुलिस अधीक्षक (अनुसचिवीय)	8	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (अनुसचिवीय)
29.	उप पलिस अधीक्षक (शस्त्र)	1	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	निरीक्षक (शस्त्र)
30.	उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय, प्रशिक्षण, जे.एन.पी.ए., पी.टी.सी., पी.टी.एस. सुरक्ष लाइन) आदि	43	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	रक्षित निरीक्षक
	योग . .	140+668=808				

टिप्पणी :—(1) सीधी भरती के उप पुलिस अधीक्षक इस अनुसूची में शामिल किसी भी पद पर पदस्थ किये जा सकते हैं.

(2) कॉलम 2 में अनुक्रमांक 18 से अनुक्रमांक 30 तक दर्शाये गये पदों पर अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान में प्रारंभिक रूप से नियुक्त या पदोन्नत होते हैं, परन्तु ज्येष्ठ वेतनमान में बाद में पदोन्नत होते हैं, जैसा कि नियम 21, अनुसूची चार की प्रविष्टि 3 में उपबन्ध है.

(3) उप पुलिस अधीक्षकों के कुल संवर्ग के 25% पद ज्येष्ठ वेतनमान में, 15% पद प्रवर श्रेणी में तथा 5% पद वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में है.

(4) अतिरिक्त पलिस अधीक्षक की पद श्रेणी के 140 पद हैं जिन्हें ज्येष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी ज्येष्ठ श्रेणी वेतनमान के पदों की गणना में शामिल नहीं किया गया है. न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उप पुलिस अधीक्षकों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर नियम 24, अनुसूची पाँच के अनुसार पदस्थ किया जाता है. ये अधिकारी अपनी सेवाकाल की अवधि तथा नियम 21, 22 और 23 के अनुसार चयनित होने पर उप पुलिस अधीक्षक पद के ज्येष्ठ वेतनमान अथवा प्रवर श्रेणी वेतनमान अथवा ज्येष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में हो सकते हैं. अतएव किसी भी विशेष समय, ज्येष्ठ वेतनमान प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा ज्येष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान पर अधिकारियों की कुल संख्या 438 होगी (140+166+99+33) (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद 140, उप पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ वेतनमान के 166, उप पुलिस अधीक्षक प्रवर श्रेणी के 99 तथा उप पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के 33).

अनुसूची–दो

(नियम 6 देखिये)

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	सम्मिलित किये गये पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
				सीधी भर्ती द्वारा नियम 6(1)(क) देखिए	पदोन्नति द्वारा नियम 6(1)(ख) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश	उप पुलिस अधीक्षक	452	50%	50%
2.	—तदैव—	उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय, प्रशिक्षण, जे. एन.पी.ए., पी.टी.सी., पी.टी. एस., सुरक्षा लाइन इत्यादि)	43	50%	50%
3.	—तदैव—	सहायक सेनानी	108	50%	50%
4.	—तदैव—	उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो)	27	50%	50%
5.	—तदैव—	क्षेत्र अधीक्षक	7	50%	50%
6.	—तदैव—	उप पलिस अधीक्षक (एम.टी.)	10	50%	50%
7.	—तदैव—	उप पुलिस अधीक्षक (कम्प्यूटर)	4	50%	50%
8.	—तदैव—	उप पुलिस अधीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)	7	–	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश	उप पुलिस अधीक्षक (अ.चि.)	5	–	100%
10.	—तदैव—	उप पुलिस अधीक्षक (फोटो)	1	–	100%
11.	—तदैव—	उप पुलिस अधीक्षक (बैण्ड)	1	–	100%
12.	—तदैव—	उप पुलिस अधीक्षक (प्रेस)	1	–	100%
13.	—तदैव—	उप पुलिस अधीक्षक (अनुसचिवीय)	8	–	100%
14.	—तदैव—	उप पुलिस अधीक्षक (शस्त्र)	1	–	100%

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखिये)

अनुक्रमांक (1)	विभाग का नाम (2)	पद का नाम (3)	न्यूनतम आयु सीमा (4)	अधिकतम आयु सीमा (5)	शैक्षणिक अर्हता (6)	टिप्पणी (7)
1.	गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश	उप पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय, प्रशिक्षण, जेएनपीए, पीटीसी, पीटीएस, सुरक्षा, लाइन इत्यादि) क्षेत्र अधीक्षक और सहायक सेनानी	20	25	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि.	
2.	—तदैव—	उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो)	21	28	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिकी/ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि.	
3.	—तदैव—	उप पुलिस अधीक्षक (कम्प्यूटर)	21	28	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि अथवा एम.सी.ए.	
4.	—तदैव—	उप पुलिस अधीक्षक (एम.टी.)	21	28	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि.	

टिप्पण.—अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश में स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा.

अनुसूची–चार

(नियम 15, 21, 22 और 23 देखिये)

अनु क्रमांक	विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कॉलम 4 में पदोन्नति की पात्रता के लिए कॉलम 3 के पद पर न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गृह (पुलिस) विभाग	उप पुलिस अधीक्षक (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान)	उप पुलिस अधीक्षक (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान)	6 वर्ष	1. प्रमुख सचिव/सचिव गृह—अध्यक्ष 2. पुलिस महानिदेशक—सदस्य 3. सरकार द्वारा नाम निर्देशित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक का एक अधिकारी—सदस्य
2.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	उप पुलिस अधीक्षक (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान)	उप पुलिस अधीक्षक (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	10 वर्ष जिसमें उप पुलिस अधीक्षक (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान) के रूप में 6 वर्ष सम्मिलित हैं.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार.
3.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	उप पुलिस अधीक्षक (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	उप पुलिस अधीक्षक (वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान)	16 वर्ष, जिनमें उप पुलिस अधीक्षक (वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान) के रूप में 6 वर्ष सम्मिलित हैं.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार
4.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	निरीक्षक	उप पुलिस अधीक्षक	6 वर्ष	1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्देशित आयोग का कोई सदस्य—अध्यक्ष. 2. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह–सदस्य 3. पुलिस महानिदेशक–सदस्य
5.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	कंपनी कमांडर (श्वान दल, अश्वारोही दल को सम्मिलित करते हुए)	सहायक सेनानी	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार
6.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	निरीक्षक (रेडियो) टेक्नीशियन/ आपरेटर तथा सायफर	उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार
7.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	निरीक्षक (एम.टी.)	उप पुलिस अधीक्षक (एम.टी.)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार
8.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	निरीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)	उप पुलिस अधीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार
9.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	निरीक्षक (कम्प्यूटर)	उप पुलिस अधीक्षक (कम्प्यूटर)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार
10.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	निरीक्षक (बैण्ड)	उप पुलिस अधीक्षक (बैण्ड)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	गृह (पुलिस) विभाग	निरीक्षक (अ.चि.)	उप पुलिस अधीक्षक (अ.चि.)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार
12.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	निरीक्षक (फोटो)	उप पुलिस अधीक्षक (फोटो)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार
13.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	निरीक्षक (प्रेस)	उप पुलिस अधीक्षक (प्रेस)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार
14.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	रक्षित निरीक्षक	उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय, प्रशिक्षण, जेएनपीए, पीटीसी, पीटीएस, सुरक्षा लाइन इत्यादि)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार
15.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	निरीक्षक (वि.शा.)	उप पुलिस अधीक्षक (वि.शा.)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार
16.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	निरीक्षक (अनुसचिवीय)/ कार्यालय अधीक्षक	उप पुलिस अधीक्षक (अनुसचिवीय)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार
17.	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार	निरीक्षक (शस्त्र)	उप पुलिस अधीक्षक (शस्त्र)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किए गए अनुसार

अनुसूची–पाँच

(नियम 24 देखिये)

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदस्थापना की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदस्थापना की जानी है	कॉलम 2 में उल्लिखित पद से कॉलम 3 के पद पर पदस्थापना हेतु अपेक्षित न्यूनतम सेवा या वेतनमान	संवीक्षा (स्क्रीनिंग) समिति/ छानबीन समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप पुलिस अधीक्षक	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	8 वर्ष	1. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह—अध्यक्ष. 2. पुलिस महानिदेशक—सदस्य 3. सरकार द्वारा नाम निर्देशित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेंक का एक अधिकारी—सदस्य
2.	सहायक सेनानी	उप सेनानी	8 वर्ष	—तदैव—
3.	उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो)	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (रेडियो)	8 वर्ष	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	उप पुलिस अधीक्षक (एम.टी.)	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एम.टी.)	8 वर्ष	1. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह—अध्यक्ष. 2. पुलिस महानिदेशक—सदस्य 3. सरकार द्वारा नाम निर्देशित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेंक का एक अधिकारी—सदस्य
5.	उप पुलिस अधीक्षक (बैण्ड)	अति. पुलिस अधीक्षक (बैण्ड)	8 वर्ष	—तदैव—
6.	उप पुलिस अधीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)	राज्य परीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	पदस्थापना के लिए कोई पृथक् संवीक्षा/छानबीन पुनः अपेक्षित नहीं होगी जबकि अधिकारी को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अनुसूची-चार के कॉलम-6 में यथा उल्लिखित समिति द्वारा, प्रवर श्रेणी वेतनमान पहले ही दे दिया गया हो.
7.	उप पुलिस अधीक्षक (कम्प्यूटर)	सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर (कम्प्यूटर)	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	—तदैव—
8.	उप पुलिस अधीक्षक (अ.चि.)	संचालक (अ.चि.)	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	—तदैव—
9.	उप पुलिस अधीक्षक	मुख्य सुरक्षा अधिकारी—म.प्र.रा.प.नि.	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	—तदैव—
10.	उप पुलिस अधीक्षक	मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सुरक्षा एवं सतर्कता) म.प्र. विद्युत् मण्डल	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	—तदैव—
11.	उप पुलिस अधीक्षक	मुख्य सुरक्षा अधिकारी—मुख्यमंत्री सुरक्षा	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	—तदैव—
12.	उप पुलिस अधीक्षक	प्राचार्य-एपीटीएस, बारसूर	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	—तदैव—
13.	उप पुलिस अधीक्षक	प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण शाला	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	—तदैव—
14.	उप पुलिस अधीक्षक	सहा. पुलिस महानिरीक्षक वि.शा., प्राचार्य—वि.शा. प्रशिक्षण शाला	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	—तदैव—
15.	उप पुलिस अधीक्षक	प्राचार्य—यातायात पुलिस प्रशिक्षण संस्थान	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	—तदैव—
16.	उप पुलिस अधीक्षक	प्राचार्य—ए.पी.टी.सी.	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	—तदैव—

टिप्पण.—1. यदि सहायक सेनानी संवर्ग में पर्याप्त तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो सीधी भरती से नियुक्त उप पुलिस अधीक्षक को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदोन्नत होने पर उप सेनानी के रूप में पदस्थ किया जा सकता है.

अनुसूची-छह
(नियम 21, 22, 23 देखिये)

उप पुलिस अधीक्षक के पदों का कनिष्ठ, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में वितरण

अनु. क्रमंक	उप पुलिस अधीक्षक एवं उसके समकक्ष रेंक के कुल पद	सीधी भरती/पदोन्नति कोटा	पदोन्नति कोटा	कनिष्ठ वेतनमान कुल संवर्ग का 55%	वरिष्ठ वेतनमान कुल संवर्ग का 25%	प्रवर श्रेणी वेतनमान कुल संवर्ग का 15%	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान कुल संवर्ग का 5%	पदोन्नति के लिये फीडर चेनल	फीडर संवर्ग की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	452 अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक.	50% कुल पद 603 (603=452+43+108) इन पदों के 50% (अर्थात् 302) पदों पर उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (मु.), उप पुलिस अधीक्षक (प्रशि), उप पुलिस अधीक्षक .(पीटीएस), उप पुलिस अधीक्षक (जेएनपीए) क्षेत्र अधीक्षक तथा सहायक सेनानी आदि की सीधी भर्ती की जावेगी.	कुल पदों का 50% =226	246	112	67	22	निरीक्षक	970
2.	43 उप पुलिस अधीक्षक अधीक्षक (मुख्यालय) उप पुलिस अधीक्षक (प्रशि.), उप पुलिस अधीक्षक (लाइन) उप पुलिस अधीक्षक (जेएनपीए, पीटीसी, पीटीएस), उप पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा)		कुल पदों का 50% =21	24	11	6	2	रक्षित निरीक्षक	71
3.	108 सहायक सेनानी	-	कुल पदों का 50%=54	60	27	16	5	कम्पनी कमाण्डर	254
4.	27 उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो).	कुल पदों का 50%=13	कुल पदों का 50%=14	14	7	4	2	निरीक्षक (रेडियो टेक्नीकल) निरीक्षक (रेडियो आपरेटर) निरीक्षक (रेडियो सायफर)	57 22 5
5.	10 उप पुलिस अधीक्षक (एम.टी.).	कुल पदों का 50%=5	कुल पदों का 50%=5	6	2	1	1	निरीक्षक (एम.टी.)	12
6.	4 उप पुलिस अधीक्षक (कम्प्यूटर).	कुल पदों का 50%=2	कुल पदों का 50%=2	2	1	1	-	निरीक्षक (कम्प्यूटर)	29
7.	7 उप पुलिस अधीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज).	शून्य	100%=6	3	2	1	-	निरीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)	9
8.	5 उप पुलिस अधीक्षक (अ.चि.ब्यूरो).	शून्य	100%=5	3	1	1	-	निरीक्षक (अ.चि.ब्यू.)	38
9.	1 उप पुलिस अधीक्षक (फोटो)	शून्य	100%=1	1	-	-	-	निरीक्षक (फोटो)	13
10.	1 उप पुलिस अधीक्षक (बैण्ड).	शून्य	100%=1	1	-	-	-	निरीक्षक (बैण्ड)	3
11.	1 उप पुलिस अधीक्षक (प्रेस).	शून्य	100%-1	1	-	-	-	निरीक्षक (प्रेस)	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.	8 उप पुलिस अधीक्षक (अनुसचिवीय).	शून्य	100%=8	4	2	1	1	निरीक्षक (अनुसचिवीय)	16
13.	1 उप पुलिस अधीक्षक (शस्त्र)	शून्य	100%=1	1	–	–	–	निरीक्षक (शस्त्र)	3
	योग . . 668	322	346	370	166	99	33	–	–

टिप्पण.—(1) सहायक सेनानी के 54 पदों पर सीधी भर्ती उप पुलिस अधीक्षक के नाम से की जाती है. सीधी भर्ती के ये अधिकारी जिला पुलिस बल अथवा विशेष सशस्त्र बल में पदस्थ किये जा सकेंगे.

(2) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की रैंक के 140 पद हैं जिन्हें ज्येष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी तथा ज्येष्ठ प्रवर श्रेणी के पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है. न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उप पुलिस अधीक्षकों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के पदों पर नियम 24 तथा अनुसूची 5 के अनुसार पदस्थ किया जाता है. ये अधिकारी अपनी सेवा की अवधि तथा नियम 21, 22 और 23 के अनुसार चयन होने पर उप पुलिस अधीक्षक के ज्येष्ठ वेतनमान या प्रवर श्रेणी वेतनमान अथवा ज्येष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में हो सकते हैं. अत: किसी विशिष्ठ समय, ज्येष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा ज्येष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में अधिकारियों की कुल संख्या 438 (140+166+99+33) होगी.

(अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 140, उप पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठ वेतनमान के 166, उप पुलिस अधीक्षक प्रवर श्रेणी वेतनमान के 99 तथा उप पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के 33 पद).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्हे सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2000

पृ. क्र. एफ-1-बी-26-2000-बी-चार-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-बी-26-2000-बी-चार-दो, दिनांक 22 मई, 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्हे सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 22nd May 2000

No. F 1(B) 26-2000-B-IV-II—In exercise of powers conferred by the proviso to aricle 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment and promotion in the Madhya Pradesh Police Executive (Gazetted) Services, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Police Executive (Gazetted) Services Recruitment and Promotion Rules, 2000.

(2) They shall come into effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the Service menas the Government of Madhya Pradesh;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

(c) "Examination" means a competitive examination for recruitment conducted under rule 11 of these rules;

(d) "Government" means Government of Madhya Pradesh;

(e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(f) "Inspector" means an officer promoted from the rank of Sub-Inspector of District Executive Force. "Reserve Inspector" means an officer promoted from the rank of Subedar. For the Inspectors of other branches like Radio, M.T., Questioned Document, Finger Print, Special Branch etc. Their branch is specifically mentioned at each place in these rules;

(g) "Other Backward Classes" means the other backwad class of citizens as specified by the State Government-Vide Notification No. F-85-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

(h) "Schedule" menas a schedule appended to these rules;

(i) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race, tribe specified as scheduled caste with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(j) "Scheduled Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribe, tribal community specified as scheduled tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(k) "State" means the State of Madhya Pradesh;

(l) "Service" means Madhya Pradesh Police Executive (Gazetted) Service.

3. **Scope and application.—**Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service as mentioned in Schedule I.

4. **Constitution of the Service.—**The service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons who at the commencement of these rules are appointed substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules;

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.—**The classification of service, the number of the posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule-I :

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of the posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.—**(1) Recruitment to the service after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment by selection, through competitive examination.

(b) By promotion of such members of service, as are specified in column 3 of Schedule IV.

(c) By transfer or deputation of persons appointed to the Specified posts in Specified Services.

(2) The number of persons recruited under clause (b) of sub-rule (1) shall not exceed the percentage mentioned in schedule II of the number of posts mentioned in Schedule-I.

(3) Subject to provisions of these rules, the method or methods for the purpose of filling any vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined by the appointing authority in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of appointing authority the exigencies of the service so require, the home department may, with the prior concurrence of General Administration Department adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the service.—**All appointments to the service after coming into force of these rules shall be made by appointing authority and no such appointment shall be made except by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.—** In order to be eligible for competing in the examination a candidate shall have to satisfy following conditions, namely :—

(1) **Age.—**(a) He must have attained the age as specified in column 4 of Schedule III and not attained the age specified in column 5 of the said schedule, on the first day of January next following the date of commencement of the examination.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of five years if a candidate belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Class.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government, to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 33 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be of more than 33 years of age. This

concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work-charged employees and employees working in the Project Implementation Committee.

(iii) A candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by three years.

Explanation.—The term 'retrenched Government Servant' denotes a person who was in Government Servant of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in the number of employees not more than three years prior to the date of his registration in the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in the Government Service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense services previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term 'ex-serviceman' denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of Economy Unit or due to normal reduction in the number of employees not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service :—

(i) Ex-serviceman released under mustering out concession;

(ii) Ex-serviceman recruited for the second time and discharged on—

(a) completion of short term engagement;

(b) fulfilling the conditions of enrolment;

(iii) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including Short Service regular commissioned officers);

(iv) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(e) General upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of widow, destitute or divorced woman candidates.

(f) Upper age limit shall also be relaxable upto two years in respect of green card holder candidates under the Family Welfare Programme.

(g) The General upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partners of a couple under the inter caste marriage inceptive Programme of the Tribal, Scheduled Castes, and Backward Classes Welfare Department.

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto five years in respect of candidates holding 'Vikram Award'.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 33 years of age in respect of candidates (who are employees) of Madhya Pradesh State Corporation/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home-Guards for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years, but in no case their age should exceed 33 years.

Note (1) Candidates who are admitted to the selection under the age concession mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) and clause (i) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from the service either before or after the selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

Note (2) In no other case age limits will be relaxed.

Note (3) Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.

(2) **Physical qualifications.—**Candidate must have following physical qualifications he shall have to submit an affidavit in this regard :—

(a) **Height :** 168 cms. or more (for male candidates only) 155 cms. or more (for women candidates only).

(b) **Chest :** 84 cms. without expansion, 89 cms. after expansion, Candidate should

attain the difference of 5 cms. between unexpanded and expanded chest. There will be no relaxation. Chest measurement is not required in case of women candidates.

(c) Candidate should not be physically handicapped.

(d) Candidate should be medically fit and should not have short sightedness in vision test. He should have clear vision for colours. He should not be mentally or physically handicapped.

(e) The candidates being directly recruited shall not be entitled for appointment if they do not qualify these standards.

(3) **Educational Qualification.—**A candidate must posses the educational qualification prescribed for the service in the Schedule III provided that—

(a) In exceptional cases the commission, on the recommendation of Government, may treat as qualified any candidate who though not possess any qualification prescribed in this clause, has passed examinations conducted by any other institution by such a standard which in the opinion of the Commission justifies the consideration of the candidate as eligible for the examination/selection.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from a foreign university not specifically recognized by the Government may also be considered for appearing, the examination/selection at the discretion of the Commission. And also only those candidates will be eligible for appointment who have passed Higher Secondary or equivalent examination or have obtained bachelor degree from any School, College or University situated in Madhya Pradesh.

(4) The candidate will have to pay the fee prescribed by the Commission.

9. **Disqualification.—**Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for appearing in examination/selection.

10. **Decision of Commission about the eligibility of candidates shall be final.—**The decision of the Commission regarding the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination/interview.

11. **Direct Recruitment through competitive examination.—**(1) A competitive examination for the recruitment to the service shall be held at such interval as the Government from time to time may determine in consultation with the Commission.

(2) The Commission shall conduct the examination according to such orders as may be issued by the Government in consultation with the Commission.

(3) Out of the available vacancies for direct recruitment, posts shall be reserved for candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon. Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Picchade Vargon Ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the orders or instructions issued by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under sub-rule (3).

(6) Out of the available vacancies the posts shall also be reserved for women candidates in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997 as made applicable to Home (Police) Department with respect to posts as mentioned in Schedule-I.

12. **List of candidates recommended by the Commission.—**(1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of candidates who have qualified by such standards as fixed by it and of candidates who belong to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for the appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and the

Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) Inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The select list issued by the Commission shall remain valid for a period of one year from the date of issue.

13. **Probation and training.—**(1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) During the probation period prescribed training shall be imparted in specified training institutions and outfits. Probation period may be extended if the candidate fails to attain prescribed standards. Failure to qualify in the prescribed examination and training by prescribed standards as may be conducted from time to time may entail extension of probation period and even discharge from service.

(3) If a candidate who is offered an appointment on probation, does not join the training at the given date and place, his appointment shall be cancelled. The order of appointment shall be cancelled if the candidate does not join within the period specified in the appointment order.

14. **Fixation of seniority and inter-se-seniority.—**(1) Members of service appointed in one calendar year shall be en-bloc senior to the members of service appointed in succeeding years.

(2) Inter-se seniority of members of service appointed by direct recruitment from one select list shall be arrived at by adding the total number of marks obtained in recruitment examination held by the Commission to the total number of marks obtained in basic training as referred in the Rule 13(2). If a probationer fails or does not appear in the first attempt in one or more subject or paper or discipline during basic training, and if he successfully passes the same in the next attempt, no mark shall be added with respect to such subject or paper or discipline in the grand total of marks obtained by him in the final merit list to decide inter-se-seniority.

(3) **Seniority.—**The seniority of the members of a service or a distinct branch or group of posts of that service shall be determined in accordance with the following principles, *viz*—

(a) Where promotions are made on the basis of selection by a Departmental Promotion Committee, the seniority of such promotees shall be in the order in which they are recommended for such promotion by the Committee.

(b) Where promotions are made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, the seniority of persons considered fit for promotion at the same time shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted. Where however a person is considered as unfit for promotion and is superseded by a junior, such person shall not, if subsequently found suitable and promoted, take seniority in the Higher grade over the junior persons who had superseded him.

(c) The seniority of a person whose case was deferred by the Departmental Promotion Committee for lack of Annual Character Rolls or for any other reasons but subsequently found fit to be promoted from the date on which his junior was promoted. Shall be counted from the date of promotion of his immediate junior in the select list or from the date on which he is found fit to be promoted by the Departmental Promotion Committee.

(d) The relative seniority between direct recruits and promotees shall be determined according to the date of issue of appointment/promotion order :

Provided that if a person is appointed/promoted on the basis of roster earlier than his senior, seniority of such person shall be determined according to the merit/select/fit list prepared by the appropriate authority.

(e) If the period of probation of any direct recruit or the testing period of any promotee is extended, the appointing authority shall determine whether he should be assigned the same seniority as would have been assigned to him if he had completed the normal period of probation/testing period successfully, or whether he should be assigned a lower seniority.

(f) If orders of direct recruitment and promotion are issued on the same date, promotee persons enblock shall be treated as senior to the direct recruitees.

15. **Appointment by promotion.—**(1) A committee shall be constituted consisting of members mentioned in column 6 of Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates. In case there is no member representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe, or Other Backward Classes among the members nominated for the Departmental Promotion Committee other than the presiding officer then an other officer from either of these category will be included in

the Departmental Promotion Committee and the strength of Departmental Promotion Committee will be deemed to be extended to the required limit.

(2) The Committee shall ordinarily meet at least once every year.

16. **Conditions of eligibility for promotion.—**(1) Without prejudice to the generality of the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (Reservation in Promotion and Limits on the Extent of Zone of Consideration) Rules, 1997, the procedure for making promotions shall be in accordance with these rules only.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1) of this Rule and Rules 21, 22 and 23, the Committee shall consider the case of all persons for the posts mentioned in column (4) of Schedule IV from the posts mentioned in column (3) of the respective row and who on the first day of January of that year have completed the number of years of service as mentioned in column (5) of the respective row and are within zone of consideration.

(3) Only such number of persons shall be considered for promotions, which is sufficient to fill up the vacancies existing and expected to arise within current year. Provided further that no person junior in service shall be considered for senior scale, selection grade and senior selection grade only on the basis of completing the qualifying length of service prior to that of this seniors.

17. **Preparation of list of suitable candidates.—**(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 16 and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service according to the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (Reservation in promotion and limits on the extent of the zone of consideration) Rules 1997. The list shall be sufficient to cover the existing vacancies and anticipated vacancies during next one year from the date of preparation of select list.

(2) According to Madhya Pradesh Civil Service (Fixation of the basis of promotion) Rules, 1998, the criteria for preparing the select list of persons for promotion from Class III to Class II, Class II to Class II and Class II to Class I, shall be "Seniority subject to fitness" and the criteria for preparing the select list of persons of promotion from Class I to Class I shall be "Merit *cum* Seniority".

(3) The names of the officials included in such list shall be arranged in the order of seniority in the service in the posts as specified in column (3) of Schedule IV at the time of preparation of such select list.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supercede any member of the service the committee shall record its reasons for proposed suppression.

18. **Consultation with the Commission.—**Wherever the Chairman of the Departmental Promotion Committee is the Chairman or the member of the Commission itself, with regard to his recommendation it will be deemed that requirement of the consultation with the Commission under Article 320 clause (3), sub-clause (b) of the Constitution has been satisfied. In such a case, it will not be necessary to obtain a separate consent of the Commission on the report of the committee.

19. **Select List.—**(1) The appointing authority shall consider the list prepared by the Committee alongwith other documents received from the Committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, it shall inform the Committee of the change proposed and after taking into account the comments, if any, of the Committee may approve the list finally with such modifications if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the appointing authority shall form the select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column 3 of the Schedule IV to the posts mentioned in column 4 of said Schedule.

"(4) The select list shall be valid for a period of 12 months from the date of approval as provided under sub-rule (3). The validity may be further extended for 6 months with the prior consent of the Public Service Commission and it shall not be extended beyond a period of 18 months in total in any case" :

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list a special review in the select list may be made at the instance of the appointing authority and the Departmental Promotion Committee may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

20. **Appointment to the service from the select list.**—(1) Persons whose names are included in the select list shall have to undergo a pre-promotion course and pass the same with such standards before being appointed on promotion, as may be specified by the Government from time to time in this behalf.

(2) The appointment of the persons included in select list to the cadre posts of service shall be made in accordance with the provisions of civil service

(Reservation in promotions and limits on the extent of the Zone on consideration) Rules 1997.

(3) Appointment of the persons included in the select list to the posts shall follow the order in which the names of such persons appear in the select list.

(4) Each person appointed to the service by promotion shall be appointed on trail for a period of two years :

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(5) It shall not ordinarily be necessary to consult the Departmental Promotion Committee before the appointment of a person whose name in included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of the name in the select list and the dates of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

21. **Conditions of eligibility for appointment from Junior Scale to Senior Scale of State Police Service.—** (1) Only such officers working in the Junior Scale of the State Police Service shall be eligible for consideration for appointment into the Senior Scale of the Service, who,—

(a) Have completed six years of service in the Junior Scale of the Service on the first January of the year in which the selection is to be made, and

(b) Direct Recruits Officers have passed with the high standards the prescribed departmental examinations in all subjects or have been exempted to pass by the State Government, as the case may be.

(2) Selection for appointment into the Senior Scale of Service, of officers working in the Junior Scale, shall be made by a Committee as constituted as mentioned in Schedule IV.

(3) Selection shall be made on the basis of "Seniority subject to fitness" in all respects.

(4) Total number of officers in this grade shall not exceed 25% of the total strength of each branch/stream of the cadre. The number of the posts in each branch/ stream (feeder channel) shall be as mentioned in column 6 of Schedule VI.

Note.—The total number of posts will be worked out by taking into account the actual sanctioned strength of the each branch/stream of the cadre at the time of preparation of the select list.

22. **Conditions of eligibility for appointment from Senior Scale to Selection Grade of State Police Service.—**(1) Only such officers working in the Senior Scale of the State Police Service shall be eligible for consideration for appointment into the Selection Grade Scale of the Service, who have completed 4 years of service in the Senior Scale of the Service on the first January of the year in which the selection is to be made.

(2) Selection for appointment into the Selection Grade Scale of Service, of officers working in the Senior Scale, shall be made by a Committee as constituted and mentioned in Schedule IV.

(3) Selection shall be made on the basis of "merit *cum* seniority" subject to fitness in all respects.

(4) Total number of officers in this grade shall not exceed 15% of the total strength of each branch/stream of the cadre. The number of the posts in each branch/ stream (feeder channel) of the cadre shall be as mentioned in column 7 of the Schedule VI.

Note.—The total number of posts will be worked out by taking into account the actual sanctioned strength of the each branch/stream of the cadre at the time of preparation of the select list.

23. **Conditions of eligibility for appointment from Selection Grade to Senior Selection Grade of State Police Service.—(**1) Only such officers working in the selection grade of the State Police Service shall be eligible for consideration for appointment into the Senior Selection Grade of the Service, who have completed a total of 6 years of service in the Selection Grade of the Serivce on the first January of the year in which the selection is to be made.

(2) Selection for appointment into the Senior Selection Grade Scale of Service, of officers working in the Selection Grade Scale, shall be made by a Committee as constituted and mentioned in Schedule IV.

(3) Selection shall be made on the basis of "merit cum seniority" subject to fitness in all respects.

(4) Total number of officers in this grade shall not exceed 5% of the total strength of each branch/stream of the cadre. The number of the posts in each branch/stream (feeder channel) shall be as mentioned in column 6 of Schedule VI.

Note.—The total number of posts will be worked out by taking into account the actual sanctioned strength of the each branch/stream of the cadre at the time of preparation of the select list.

24. **Conditions of eligibility for posting as Additional Superintendent of Police.—**(1) Only those members of service who are working in the senior scale

or selection grade of the State Police Service and fulfil the conditions of eligibility placed in column (4) of Schedule V, shall be eligible for consideration for being posted as Additional Superintendent of Police, Deputy Commandant, or in the equivalent rank.

(2) Selection for posting shall be made by the committee as specified in column (5) of Schedule V.

(3) Selection shall be made on the basis of merit *cum* seniority subject to fitness in all respects.

(4) Being not posted on the posts as mentioned in sub-rule (1) above shall not be a bar for an officer in the senior scale to be considered for Selection Grade or senior selection grade of the Service.

25. Notwithstanding anything contained in these rules, there shall be no bar to the posting of Indian Police Service Officers on the posts included in Schedule I.

26. **Interpretation.—**If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision shall be final.

27. **Relaxation.—**Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such a manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

28. **Saving.—**Nothing in these rules shall adversely affect the reservations and other conditions required to be made available under the orders issued by the Government with respect to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

29. **Repeal and Saving.—**All rules corresponding to these rules inforce immediately before commencement of these rules are hereby repealed and in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
NANHEY SINGH, Principal Secy.

SCHEDULE-I
(See Rule 5)

Classification in Service Pay Scales and the number of Posts existing in the service

Sr. No.	Name of the posts included in the service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Appointing Authority	Posting eligibility for officers of promotion quota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Principal Police Training School.	7	SPS/Class I	Senior Selection Grade Rs. 14300-400-18300/- or Selection Grade Rs. 12000-375-16500/- 0f SPS.	The State Government	(1) 3 posts for the Dy.SPs promoted from Reserve Inspector cadre. (2) remaining posts for the Inspector cadre or directly Recruited Dy. SPs.
2.	Principal TPTI	1	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector
3.	Principal APTC	1	AS Above	AS Above	AS Above	Company Commander
4.	Principal APTS Barsoor	1	AS Above	AS Above	AS Above	Company Commander
5.	System Administrator Computer	1	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (Computer)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Director Finger Prints.	1	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (Finger Print)
7.	AIG SB Principal SB Training School	3+1=4	AS Above	AS Above	AS Above	2 posts for Inspector (SB) & 2 posts for Inspector.
8.	State Examiner Questioned Document.	2	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (QD)
9.	CSO MPSRTC	2	AS Above	AS Above	AS Above	1 posts for Inspector & 1 posts for Reserve Inspector cadre.
10.	CSO (S&V) MPEB	1	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector
11.	CSO CM SECURITY	1	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (SB) or Inspector.
12.	Additional Superintendent of Police/Additional SP Narcotics/	75	AS Above	Selection Grade Rs. 12000-375-16500/- or Senior Scale Rs. 10000-325-15200/- of SPS.	AS Above	Inspector
13.	Area Superintendent	7	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (SB) or Inspector.
14.	Deputy Commandant	24+1=25	AS Above	AS Above	AS Above	Company Commander
15.	Additional SP-Superintendent of Police (Radio)	7	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (Radio)
16.	Additional SP-Superintendent of Police (MT) Commandant GEME	3	AS Above	AS Above	AS Above	Reserve Inspector or Company Commander.
17.	Additional Superintendent of Police (Band)	1	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (Band)
18.	Deputy Superintendent of Police.	452	S.P.S./Class 1/ S.P.S./Class 2	Senior Scale Rs. 10000-325-15200/- or Junior Scale Rs. 8000-275-13500/-	The State Government	Inspector
19.	Assistant Commandant	108	AS Above	AS Above	AS Above	Company Commander
20.	Deputy Superintendent of Police.(Radio)	27	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (Radio)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	Deputy Superintendent of Police.(MT)	10	AS Above	AS Above	AS Above	Reserve Inspector or Company Commander or Inspector (MT)
22.	Deputy Superintendent of Police.(Q.D.)	7	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (QD)
23.	Deputy Superintendent of Police.(Computer)	4	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector Computer
24.	Deputy Superintendent of Police.(Finger Print)	5	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (Finger Print)
25.	Deputy Superintendent of Police.(Photo)	1	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (Photo)
26.	Deputy Superintendent of Police.(Band)	1	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (Band)
27.	Deputy Superintendent of Police.(Press)	1	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (Press)
28.	Deputy Superintendent of Police.(Ministerial)	8	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (Ministerial)
29.	Deputy Superintendent of Police.(Arms)	1	AS Above	AS Above	AS Above	Inspector (Arms)
30.	Deputy Superintendent of Police.(HQ), Training JNPA, PTC, PTS, Security, Lines etc.)	43	AS Above	AS Above	AS Above	Reserve Inspector
	Total 140+668=808					

Note:—(1) The Directly recruited Dy. S. P. can be posted on any of the posts included in this Schedule.

(2) On the posts mentioned in Column 2 from Sr. No. 18 to 30 the officers are appointed or promoted initially in the Junior Scale of Pay but later are promoted to the senior scale of pay according to the provisions of Rule 21 and Schedule IV entry 3.

(3) Of the total cadre of Dy. S. P. 25% of the posts are to be in the Senior Scale, 15% in the Selection Grade and 5% are to be in the Senior Selection Grade.

(4) There are 140 posts in the rank of Addl. SP which are not included while working out the posts in senior scale, selection grade and senior selection grade. Deputy Superintendents of Police as Additional SsP on completion of minimum 8 years of service in accordance with rule 24 and Schedule V. These officers could be in senior scale or selection grade or in Senior Selection grade of Dy. S. P. depending on their length of service and their selection as per Rules 21, 22 and 23. Therefore at any particular time total number of officers in senior scale, selection grade and senior selection grade will be 438 (140+166+99+33)).
(ADDL SP posts = 140, DSP Sr Scale - 166, DSP sel grade=99, DSP Sr. sel. grade=33

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

Sr. No.	Name of the Department	Name of Posts included	Total number of Duty Posts	Percentage of number of posts to be filled	
				By Direct recruitment vide rule 6(1)(a)	By promotion of members of service vide rule 6(1)(b)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Home (Police) Department Madhya Pradesh	Deputy Superintendent of Police	452	50%	50%
2.	—As above—	Deputy Superintendent of Police (HQ, Training, JNPA, PTC, PTS, Security, Lines etc.).	43	50%	50%
3.	—As above—	Assistant Commandant	108	50%	50%
4.	—As above—	Deputy Superintendent of Police (Radio)	27	50%	50%
5.	—As above—	Area Superintendent	7	50%	50%
6.	—As above—	Deputy Superintendent of Police (MT)	10	50%	50%
7.	—As above—	Deputy Superintendent of Police (Computer)	4	50%	50%
8.	—As above—	Deputy Superintendent of Police (Q.D.)	7	Nil	100%
9.	—As above—	Deputy Superintendent of Police (Finger Print)	5	Nil	100%
10.	—As above—	Deputy Superintendent of Police (Photo)	1	Nil	100%
11.	—As above—	Deputy Superintendent of Police (Band)	1	Nil	100%
12.	—As above—	Deputy Superintendent of Police (Press)	1	Nil	100%
13.	—As above—	Deputy Superintendent of Police (Ministerial)	8	Nil	100%
14.	—As above—	Deputy Superintendent of Police (Arms)	1	Nil	100%

SCHEDULE III
(See Rule 8)

Sr. No. (1)	Name of Department (2)	Name of Posts (3)	Minimum age limit (4)	Maximum age limit (5)	Educational Qualification (6)	Remark (7)
1.	Home (Police) Department Madhya Pradesh	Deputy Superintendent of Police, Deputy Superintendent of Police (HQ, Training, JNPA, PTC, PTS, Security, Lines etc.), Area Superintendent and Assistant Commandant.	20	25	Bachelor Degree or its equivalent from any recognized University	
2.	As above	Deputy Superintendent of Police (Radio)	21	28	Bachelor Degree or its equivalent from any recognized University in Electronics/Telecommunication Engineering or Technology.	
3.	As above	Deputy Superintenent of Police (Computer)	21	28	Bachelor Degree or its equivalent from any recognized University in Computer Science or Technology or MCA.	
4.	As above	Deputy Superintenent of Police (MT)	21	28	Bachelor Degree or its equivalent from any recognized University in Mechanical Engineering or Automobile Engineering.	

Note.—It will be essential for the candidates to have passed the Higher Secondary/Bachelor examination from a School/College situated in Madhya Pradesh.

SCHEDULE-IV
(See Rule 15, 21, 22 & 23)

Sr. No. (1)	Name of the Department (2)	Name of Posts from which promotion is to be made (3)	Name of Posts to which promotion is to be made (4)	Minimum Service in the post of column (2) for eligibility for promotion in the column (3) (5)	Composition of the Departmental Promotion Committee/ Screening Committee (6)
1.	Home (Police) Department	Deputy Superintendent of Police (Junior Scale)	Deputy Superintendent of Police (Senior Scale)	6 years	1. Principal Secretary/ Secretary Home—Chairman 2. Director General of Police—Member 3. One Officer of the rank of Addl. Director General of Police nominated by the Govt.—Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Home (Police) Department	Deputy Superintendent of Police (Senior Scale)	Deputy Superintendent of Police (Selection Grade)	10 years including that of 6 years as Deputy Superintendent of Police (Junior Scale)	1. Principal Secretary/ Secretary Home—Chairman 2. Director General of Police—Member 3. One Officer of the rank of Addl. Director General of Police nominated by the Govt. Member.
3.	—As above—	Deputy Superintendent of Police (Selection Grade)	Deputy Superintendent of Police (Senior Selection Grade)	16 years including that of 6 years as Deputy Superintendent of Police (Selection Grade)	As mentioned above
4.	—As above—	Inspector	Deputy Superintendent of Police	6 years	Chairman— 1. Chairman M.P. Public Service Commission or Member of the Commission nominated by the Chairman—Chairman 2. Principal Secretary/ Secretary Home—Member. 3. Director General of Police—Member.
5.	—As above—	Company Commander (Including dog squad, horse squad)	Assistant Commandant	6 years	As mentioned above
6.	As mentioned above	Inspector (Radio) Technician, Operator & Cipher	Deputy Superintendent of Police (Radio)	6 years	As mentioned above
7.	As mentioned above	Inspector (MT)	Deputy Superintendent of Police (MT)	6 years	As mentioned above
8.	As mentioned above	Inspector (QD)	Deputy Superintendent of Police (QD)	6 years	As mentioned above
9.	As mentioned above	Inspector (Computer)	Deputy Superintendent of Police (Computer)	6 years	As mentioned above
10.	As mentioned above	Inspector (Band)	Deputy Superintendent of Police (Band)	6 years	As mentioned above
11.	As mentioned above	Inspector (Finger Print)	Deputy Superintendent of Police (Finger Print)	6 years	As mentioned above
12.	As mentioned above	Inspector (Photo)	Deputy Superintendent of Police (Photo)	6 years	As mentioned above

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	As mentioned above	Inspector (Press)	Deputy Superintendent of Police (Press)	6 years	As mentioned above
14.	As mentioned above	Reserve Inspector	Deputy Superintendent of Police (HQ), Training, JNPA, PTC, PTS, Security Lines etc.)	6 years	As mentioned above
15.	As mentioned above	Inspector (SB)	Deputy Superintendent of Police (SB)	6 years	As mentioned above
16.	As mentioned above	Inspector (Ministerial Office-Superintendent)	Deputy Superintendent of Police (Ministerial)	6 years	As mentioned above
17.	As mentioned above	Inspector (Arms)	Deputy Superintendent of Police (Arms)	6 years	As mentioned above

SCHEDULE-V
(See Rule 24)

Sr. No.	Name of Post from which posting is to be made	Post to which posting is to be done	Minimum Service or scale of pay on the post mentioned in column 2 required for posting on the post in column 3	Composition of Screening/Scrutiny Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deputy Superintendent of Police	Additional Superintendent of Police	8 years	1. Principal, Secretary/ Secretary Home,—Chairman. 2. Director General of Police—Member. 3. One Officer of the rank of Addl. Director General of Police nominated by the Govt. Member.
2.	Assistant Commandant	Deputy Commandant	8 years	As above
3.	Deputy Superintendent of Police (Radio)	Additional Superintendent of Police (Radio)	8 years	As above
4.	Deputy Superintendent of Police (MT)	Additional Superintendent of Police (MT)	8 years	As above
5.	Deputy Superintendent of Police (Band)	Additional Superintendent of Police (Band)	8 years	As above

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Deputy Superintendent of Police (QD)	State Examiner-Questioned Document	Selection Grade of State Police Service	No separate screening/ scrutiny will be required again for posting since the officer is already granted selection grade on completion of 10 years of service by the committee as mentioned in column 6 of Schedule IV.
7.	Deputy Superintendent of Police (Computer)	System Administrator Computer	Selection Grade of State Police Service	As above
8.	Deputy Superintendent of Police (Finger Print)	Director—Finger Print	Selection Grade of State Police Service	As above
9.	Deputy Superintendent of Police	CSO MPSRTC	Selection Grade of State Police Service	As above
10.	Deputy Superintendent of Police	CSO-(S&V) MPEB	Selection Grade of State Police Service	As above
11.	Deputy Superintendent of Police	CSO-CM Security	Selection Grade of State Police Service	As above
12.	Deputy Superintendent of Police	Principal-APTS Barsoor	Selection Grade of State Police Service	As above
13.	Deputy Superintendent of Police	Principal-Police Training School	Selection Grade of State Police Service	As above
14.	Deputy Superintendent of Police	AIG SB, Principal SB Training School	Selection Grade of State Police Service	As above
15.	Deputy Superintendent of Police	Principal-TPTI	Selection Grade of State Police Service	As above
16.	Deputy Superintendent of Police	Principal-APTC	Selection Grade of State Police Service	As above

Note.—1. Direct recruit Deputy Superintendent of Police on promotion as Additional Superintendent of Police may be posted as Deputy Commandant, if adequate and suitable candidates from Assistant Commandant cadre are not available.

SCHEDULE-VI
(See Rule 21, 22, 23)

Distribution of Dy. S. P. Posts into Junior, Senior, Selection and Senior Selection Grade

Sl. No.	Total Posts of DSP and equivalent rank	Direct Recruit\ Promotion Quota	Promotion Quota	Junior Scale 55% of total cadre	Senior Scale 25% of total cadre	Selection Grade 15% of total cadre	Senior Selection Grade 5% of total cadre	Feeder Channels for promotion	Strength of Feeder cadre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	452 SDOP, CSP, DSP	50% total posts are 603 (603=452+43+108) 50% of these posts (i.e. 302) are to be directly recruited in respecte of DSP,	50% of total posts= 226	246	112	67	22	Inspector	970
2.	43 DSP (HQ) DSP (Training) DSP (Lines), DSP (JNPA, PTC, PTS, etc.) DSP Security)	SDOP, CSP, DSP (HQ), DSP (Training), DSP (PTS), DSP (JNPA), Area Superintendent and Assistant Commandant etc.	50% of total posts=21	24	11	6	2	Reserve Inspector	71
3.	108 Assistant commandant		50% of total posts=54	60	27	16	5	Company Commander	254
4.	27 DSP (Radio)	50% of total posts=13	50% of total posts=14	14	7	4	2	Inspector (Radio Technical)	57
								Inspector (Radio operator)	22
								Inspector (Radio-cipher)	5
5.	10 DSP (MT)	50% of total posts=5	50% of total posts=5	6	2	1	1	Inspector (MT)	12
6.	4 DSP (Computer)	50% of total posts=2	50% of total posts=2	2	1	1	-	Inspector (Computer)	29
7.	7 DSP (QD)	Nil	100%=6	3	2	1	-	Inspector (Questioned Document)	9
8.	5 DSP (FPB)	Nil	100%=5	3	1	1	-	Inspector (FPB)	38
9.	1 DSP (Photo)	Nil	100%=1	1	-	-	-	Inspector (Photo)	13
10.	1 DSP (Band)	Nil	100%=1	1	-	-	-	Inspector (Band)	3
11.	1 DSP (Press)	Nil	100%=1	1	-	-	-	Inspector (Press)	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.	8 DSP (M)	Nil	100%=8	4	2	1	1	Inspector (Ministerial)	16
13.	1 DSP (Arms)	Nil	100%=1	1	-	-	-	Inspector (Arms)	3
Total	668	322	346	370	166	99	33	-	-

Note.—1. Direct recruitment of 54 posts of Assistant Commandants is done in the name of Dy. S.P. These directly recruited officers may be posted either in SAF or in DEF.

2. There are 140 posts in the rank of Addl. S.P. which are not included while working out the posts in senior scale, selection grade and senior selection grade. Deputy Superintendents of Police are posted as Additional SsP on completion of minimum 8 years of service in accordance with rule 24 and Schedule V. These officers could be in senior scale or selection grade or in Senior Selection grade of Dy. S.P. depending on their length of service and their selection as per Rules 21, 22 and 23. Therefore at any particular time total number of officers in senior scale, selection grade and senior selection grade will be 438 (140+166+99+33).

(Addl. S.P. Posts =140, DSP sr. scale=166, DSP sel. grade=99, DSP sr. sel. grade=33)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NANHEY SINGH, Principal Secy.

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग (सी-अनुभाग)

आदेश

क्रमांक एफ. 19-3/99//सी-1 भोपाल, दिनांक 23 मई 2000
27 मई 2000

प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सली पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कार्ययोजना विभागीय आदेश क्रमांक एफ 19-15/90/सी-1, दिनांक 8/10 दिसम्बर, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ. 19-3/99//सी-1, दिनांक 21/28 फरवरी, 2000 द्वारा जारी की गई है.

2. विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 19-3/99//सी-1, दिनांक 21/28 फरवरी, 2000 द्वारा जारी आदेश में नक्सली हिंसा में मारे गए समस्त आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को प्रति मृतक व्यक्ति रुपये एक लाख के मान से राहत/सहायता राशि आश्रित परिवार को गृह विभाग के बजट शीर्ष ''मांग संख्या-4-शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य योजना-2653-पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान सहायक अनुदान-14-आर्थिक सहायता-सहायक अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने का प्रावधान किया गया है.

3. इसी क्रम में राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त विभागीय आदेश क्रमांक एफ 19-3/99/सी-1, दिनांक 21/28 फरवरी, 2000 के अनुसार नक्सली हिंसा में मारे गए समस्त आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को प्रति मृतक व्यक्ति रुपये एक लाख के मान से गृह विभाग के दर्शाए गए बजट शीर्ष से राहत/सहायता राशि आश्रित परिवार को प्रदान करने के लिए राशि का आहरण एवं संवितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा. जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि घटना के एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि का भुगतान नक्सली पीड़ित परिवार को प्राप्त हो जाय.

4. उपरोक्त दर्शायी गई राशि के आहरण हेतु जिला कलेक्टर बजट आवंटन की प्रतीक्षा नहीं करेंगे. उक्त बजट शीर्ष से राशि आहरण कर एवं वितरण कर गृह विभाग व वित्त विभाग को इसकी सूचना तीन दिवस के भीतर भेजेंगे.

5. कलेक्टर द्वारा भुगतान की गई राशि का प्रावधान उसी वित्तीय वर्ष के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान में कराना आवश्यक है.

6. आर्थिक सहायता मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारी को ही भुगतान की जावे. यदि पूर्व में किसी व्यक्ति को कोई राशि भुगतान की गई हो तो उसको समायोजित कर लिया जावे.

7. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

8. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 323/आर-872/चार/ब-5/2000 दिनांक 27-5-2000 के द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है.

.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(नन्हे सिंह)
प्रमुख सचिव.

पृ. क्रमांक एफ. 19-3/99//सी-1 भोपाल, दिनांक 23 मई 2000
27 मई 2000

प्रतिलिपि :—

1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित, सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित.
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल.
3. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
4. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश.
5. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश.
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.
8. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.
9. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, भोपाल.
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मंत्रालय, भोपाल

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(नन्हे सिंह)
प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश शासन

गृह (सामान्य) विभाग

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 9-6-2000

क्रमांक एफ. 3-54/98/दो-ए(3).—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 मई 1999 द्वारा जारी किये गये नियमों में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त नियमों के पृष्ठ क्रमांक 3 पर ''परीक्षा का संचालन'' शीर्षक के बिन्दु क्रमांक 5 की कंडिका-3 के पश्चात् निम्न कंडिका अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

2. ''उक्त नियमों के तहत ऐसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जो अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश में आए हों, भी विभागीय परीक्षा में बैठ सकेंगे''.

परन्तु परीक्षा में बैठने हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक होगी. उक्त संशोधन प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील माना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(नन्हे सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (सामान्य) विभाग,
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ).

पृ. क्र. एफ 3-54/98/दो-ए(3) भोपाल, दिनांक 9 जून 2000

प्रतिलिपि :—

1. शासन के समस्त विभाग.
2. समस्त विभागाध्यक्ष.
3. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश.
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
7. उप नियमंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उक्त संशोधन आदेश को मध्यप्रदेश के आगामी राजपत्र में प्रकाशित कर उसकी 1000 (एक हजार) प्रतियां इस विभाग को प्रदाय करने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(दीप्ति गौड़ मुकर्जी),
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (सामान्य) विभाग

मध्यप्रदेश शासन

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 24 जून, 2000

क्रमांक एफ. 1-138-97-दो-ए(3).—राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य पूल के शासकीय आवासों की लायसेंस शुल्क (किराया वसूली) दिनांक 1 जुलाई 2000 में निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

क्र.	श्रेणी	वेतनमान	नियम 45 ''ए'' के अधीन मासिक किराया	नियम 45 ''बी'' के अधीन मासिक किराया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	''बी''	22400 से अधिक	1150	2300
2.	''सी''	18400 से 22400	1100	2200
3.	''डी''	12750 से 18399	850	1700
4.	''ई''	10000 से 12749	700	1400
5.	''एफ''	6500 से 9999	425	850
6.	''जी''	4500 से 6499	300	600
7.	''एच''	3050 से 4499	150	300
8.	''आई''	चतुर्थ श्रेणी	50	170

2. राज्य शासन एतद्द्वारा भोपाल स्थित सामान्य पूल के शासकीय आवासों का बाजार दर पर मासिक किराया निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

क्र.	श्रेणी	बाजार दर पर मासिक किराया
(1)	(2)	(3)
1.	''बी''	8500
2.	''सी''	8150
3.	''डी''	6750
4.	''ई''	4100
	गैरिज सहित	4600
5.	''एफ''	2650
6.	''जी''	1800
7.	''एच''	1450
8.	''आई''	900

3. जिला मुख्यालय एवं संभागीय मुख्यालय के लिये बाजार दर का निर्धारण क्रमशः जिलाध्यक्ष एवं संभागायुक्त लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(बी. आर. ठाकरे)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (सा.) विभाग.

पृ. क्रमांक एफ. 1-138-97-दो-ए(3), भोपाल, दिनांक 24 जून 2000

प्रतिलिपि :—

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, भोपाल.
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल.
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, भोपाल.
4. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर (म. प्र.).
5. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर (म. प्र.).
6. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर (आडिट).
7. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) म. प्र. ग्वालियर.
8. सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
9. आयुक्त, म. प्र. भवन, नई दिल्ली.
10. शासन के समस्त विभाग, म. प्र.
11. समस्त आयुक्त, म. प्र.
12. समस्त विभागाध्यक्ष, म. प्र.
13. समस्त जिलाध्यक्ष, म. प्र.
14. संचालक, कोष एवं लेखा संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
15. संचालक, संपदा संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
16. निज सचिव, मान. उप मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी . . . . . विभाग, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (सा.) विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

गृह (सामान्य) विभाग

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 17/28-8-2000

क्रमांक एफ. 3-54/98/दो-ए(3).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 जून, 2000 द्वारा जारी किये गये संशोधन में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त नियमों 2 में ''उक्त नियमों के तहत ऐसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जो अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश में आए हों, भी विभागीय परीक्षा में बैठ सकेंगे'' के बाद का उद्धरण चिन्ह हटा कर, उसके बाद परन्तु परीक्षा में बैठने हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग की पुर्वानुमति आवश्यक होगी'' वाक्य जोड़ने के बाद उद्धरण चिन्ह लगाया गया, पढ़ा जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(नन्हे सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (सामान्य) विभाग,
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ).

पृ. क्र. एफ 3-54/98/दो-ए(3) भोपाल, दिनांक 17/28 अगस्त 2000

प्रतिलिपि :—

1. शासन के समस्त विभाग.
2. समस्त विभागाध्यक्ष.
3. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश.
5. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
7. उप नियमंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उक्त संशोधन आदेश को मध्यप्रदेश के आगामी राजपत्र में प्रकाशित कर उसकी 1000 (एक हजार) प्रतियां इस विभाग को प्रदाय करने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(एस. डी. अग्रवाल),
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ).

मध्यप्रदेश शासन

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

क्रमांक एफ. 31-21-80-सी-1, भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2000

प्रति,

1. समस्त जिला दण्डाधिकारी, (नाम से),
   मध्यप्रदेश.
2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश.

विषय.—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बनाये जाने वाले प्रकरणों के संबंध में.

मंत्रणा बोर्ड द्वारा दिनांक 17-8-2000 की बैठक में यह पाया गया कि दुर्ग जिले से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अपराधिक प्रकरणों की पंजीबद्ध प्रथम नकल (एफ.आई.आर.) सलंग्न नहीं पाई गई जिस पर मंत्रणा बोर्ड द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है.

अत: निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रकरणों को तैयार करते समय पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरतते हुए प्रकरण की एक मूल प्रति एवं तीन अतिरिक्त प्रतियां पूर्ण रिकार्ड सहित शासन को भेजे तथा साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अपराधिक प्रकरणों की पंजीबद्ध प्रथम नकल (एफ. आई. आर.) आवश्यक रूप से संलग्न की जाये. इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जा चुके हैं. कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
(डॉ. डी. पी. सिंह)
उपसचिव.

क्रमांक एफ. 31-21-80-सी-1, भोपाल, दिनांक 31 अगस्त, 2000

प्रतिलिपि :—

श्री एम. एल. पारे, सचिव, अध्यक्ष मंत्रणा बोर्ड, जबलपुर की ओर सूचनार्थ.

हस्ता./-
(डॉ. डी. पी. सिंह)
उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ. 16-149/99/बी(1)दो भोपाल, दिनांक 29-9-2000

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
   मध्यप्रदेश.
2. समस्त जिला दण्डाधिकारी,
   मध्यप्रदेश.

विषय.—शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत शस्त्र विक्रेताओं की अनुज्ञा के नवीनीकरण के अधिकार कलेक्टर को सौंपने बाबत्.

संदर्भ.—इस विभाग का आदेश क्रमांक 16/149/99/बी(1) दो, दिनांक 30-3-99.

राज्य शासन द्वारा संदर्भित आदेश द्वारा जिला दण्डाधिकारियों को शस्त्र डीलर अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के आदेश प्रत्यायोजित किये थे, जो विचारोपरान्त निरस्त किये जाते हैं. अतः अब शस्त्र नवीनीकरण के समस्त प्रकरण जिला दण्डाधिकारी अपनी टीप सहित राज्य शासन को निर्णय हेतु भेजेंगे.

.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(के. पी. सिंह)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 16-66/2000/बी(1)दो भोपाल, दिनांक 4-10-2000

प्रति,

समस्त जिला दण्डाधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश प्रान्त के शस्त्र लायसेंसों में आर्म्स डीलरों द्वारा शस्त्र विक्रय करने के संबंध में.

उपर्युक्त विषयक इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 4896/4345/99/बी(1) दो, दिनांक 30-8-99 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक 836/2000, 838/2000 एवं 839/2000 में पारित आदेश दिनांक 19-7-2000 की प्रतिलिपि पालनार्थ संलग्न प्रेषित है.

संलग्न.—यथोपरि.

.

हस्ता./-
(के. पी. सिंह)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग.

(HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, INDORE BENCH, INDORE)
SINGLE BENGH : BEFORE HON'BLE SHRI JUSTICE N. K. JAIN

WRIT PETITION NO. 836/2000
Smt. Sakinabai and Others

Vs.

State of M. P. & Anr.,
WRIT PETITION NO. 838/2000

Jiyauddin & Ors.

Vs.

State of M. P. & Anr.
AND
WRIT PETITION NO. 839/2000

Hatimali Fidahussain & Ors.

Vs.

State of M. P. & Anr.,

* * * * * *

Sarvashri A. H. Khan, S. S. Samvatsar and Smt. S. Waghmare, counsel for petitioners; and Prakash Verma, Govt. Advocate for respondents.

* * * * * *

ORDER
(Passed on 19-7-2000)

All these petitions have been heard as connected matters and are being disposed of by this common order.

2. In all these petitions, the petitioners who are arm dealers, call in question the State Government Circular dated 4-10-99 (marked Annexure P/2 in all the petitions) whereby it is directed that before any arm is sold, by an arm dealer, he shall ask the purchaser licencee to produce No. Objection Certificate' from the Licencing Authority certifying the genuineness of his licence

3. I have heard Sarvashri A. H. Khan, S. S. Samvatsar and Smt. S. S. Waghmare, learned counsel for petitioners; and Prakash Verma, Government Advocate for respondents.

4. The petitioners seek to impugn the Circular (Annexure P/2) on the ground that it is without any authority of law besides being unreasonable and arbitrary in nature. It is also violative of their fundamental right to carry business or trade, it is further submitted.

As against it, learned Government Advocate has streneously defended the impugned Circular and it is submitted that the Circular has been issued in exercise of executive power of the State Government with a view to prevent sale of fire arms to unauthorised persons who may purchase the arms on the basis of forge or fake licences.

5. The impugned order is obviously issued by the State Government in exercise of their executive power. This power is vested in the State Government by Article 154 of the Constitution which provides that the executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him . . . . . in accordance with the Constitution'. The expression' executive power' is very wide and connotes the residue of Governmental functions that remain after the legislative and judicial functions are taken away. It includes acts necessary for carrying out the administration of the State. These powers of the State executive, are however, co-extensiye with the legislative power of the State legislature. This limitation in exercise of executive powers, is contained in Article 162 which provides that

subject to the provisions of the Constitution, the executive power of the State shall extend to the matters in respect of which the State legislature of the State has power to make laws'. Thus the power extends to the matters with respect to which the legislature of a State has authority to make laws i. e., the subject enumerated in List I State List and List II Concurrent List of the VIIth Schedule of the Constitution.

6. Subject relating to arms, fire arms, ammunition and explosives falls within Union List at Item No. 5. The State legislature has, therefore, no power to make law in respect of any matter relating to arms, fire arms and ammunitions. That being so, the State Government or its authorities also cannot exercise their executive power in any such matter relating to that subject (of arms etc.). The Arms Act and the Rules made thereunder are the laws made by the Central Parliament and the Union Government in exercise of their power under Article 246 r/w. List I of Schedule VII of the Constitution. So the executive power in respect of the subject covered by these laws can be exercised only by the Union Government.

7. True, the Arms Act and the Rules made thereunder, confer certain powers and also imposes certain duties upon the State Government authorities in certain matters such as grant of licences and their revocation etc., in respect of which the State legislature cannot make laws. Such powers can be exercised and duties be performed only within the framework of the Act and the Rules and not their beyond.Such power, observed the Supreme Court in Bishamber Dayal (AIR 1982 SC 33), "can be exercised only by authority of law and not by a mere executive fiat or order". In the instant case, the impugned order issued by the State Government, has no such authority of law. Firstly it is issued with respect of a subject about which the State legislature cannot make law thus, attracting the limitation contained under Article 162. Secondly there is no authority conferred on the State Government or their authorities by the Arms Act or the Rules to issue such orders or instructions.

8. The impugned circular is also violative of petitioners' fundamental right to carry trade or business as guaranted by Article 19(1) (g) of the Constitution. Clause (6) of Article 19 only permits the State to make laws imposing, in the interest of general public, reasonable instructions on the exercise of the right conferred by subclause (g). In the matter before me, the Central legislature has already made law i. e., The Arms Act and the rules have also been framed in that behalf by the Union Government imposing restrictions in the matter of sale and purchase of arms. However, the impugned circular imposing further restrictions on the sale and purchase of the arms has been issued by the State Government without any authority of law. The restrictions contained in the circular cannot be also termed as reasonable inasmuch as they do not meet the test of reason and relevance. The direction contained in the circular is something like a Selection Board while interviewing candidates for appointment on some posts, requiring them to produce N. O. G. over and above the degrees and certificates of their educational qualification, from the University/Board that the degrees/ certificates granted by the University/Board are not forged. Such an illogical and arbitrary order or instruction cannot be sustained in law.

9. The Supreme Court in P. Nalla Thampy (AIR 1984 SC 135) has quoted with approval following observations of Lord Denning:—

> "A Judge must not alter the material of which the Act is woven, but he can and should iron out the creases".

There are no creases either in the provisions of the Arms Act or the Rules made thereunder. On the contrary, the impugned circular tends to create creases which need to be ironed out by this court by quashing that circular which is clearly ultra vires the Constitution as also the Arms Act and the Rules.

10. Even while quashing the Circular (Annexure P/2), it needs to be made clear that it is the responsibility of the petitioners and other arms dealers in th State to ensure that arms are sold to the persons holding valid and genuine licence to buy and possess the arms. Any sale to any unauthorised person, to be more precise, to a person holding a forged licence may render the seller dealer liable for prosecution and punishment under the appropriate penal law. Needless to add. that these dealers have to be now extra acutions in the matter.

11. With the observations as aforesaid, the Circular (Annexure P/2) is quashed. The petition is accordingly allowed with no order as to costs. A copy of this order be forwarded to the Principal Secretary (Home), Government of Madhya Pradesh, Bhopal for circulation amongst all the licencing authorities in the State.

12. This order be retained in W. P. No. 836/2000 and a copy each be placed in the records of W. P. Nos. 836/2000 and 839/2000.

Sd/-
(N. K. JAIN)
Judge
19-7-2000

मध्यप्रदेश शासन

गृह (सामान्य) विभाग

(विभागीय परीक्ष प्रकोष्ठ)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19-10-2000

क्रमांक एफ. 3-57/2000/दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थी यदि मूल्यांकित अपनी उत्तरपुस्तिका की प्रति की मांग करते हैं तो उन्हें मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध करायी जा सकेगी.

2. इसके लिये मांगकर्ता परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय की उत्तरपुस्तिका के लिये रुपये एक सौ की दर से शुल्क लेखा शीर्ष क्रमांक 0070-प्रशासनिक सेवाएं-01-800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक में जमा करानी होगी. बैंक में जमा की गई धनराशि की रसीद, उत्तस्मुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र के साथ शासन को प्रस्तुत करना होगी.

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि मांगकर्ता द्वारा दी गयी अंतिम परीक्ष से संबंधित उत्तरपुस्तिका से पहले की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रतियों की मांग नहीं की जा सकेगी और न ही इसकी छायाप्रतियां उपलब्ध कराई जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(नन्हे सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (सामान्य) विभाग,
(विभागीय परीक्ष प्रकोष्ठ).

क्र. एफ. 3-57/2000/दो-ए(3) भोपाल, दिनांक 19-10-2000

प्रतिलिपि :—

1. शासन के समस्त विभाग.
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर (म. प्र.).
3. समस्त विभागाध्यक्ष, म. प्र.
4. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश.
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.
7. मान. मुख्यमंत्रीजी के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर उनके जावक क्रमांक 403/एस.सी.एम./जी.के./2000, दिनांक 14-7-2000 के संदर्भ में अग्रेषित.
8. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर को उनके पत्र क्रमांक सी. एस./मोनिट/6311/2000, दिनांक 17-7-2000 के संदर्भ में अग्रेषित.
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को उनके जावक क्रमांक सी. आर. 3029/2000/सीएमएस, दिनांक 11-10-2000 के संदर्भ में अग्रेषित.
10. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को साधारण राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित. कृपया प्रकाशन के उपरान्त उसकी 1000 (एक हजार) प्रतियां इस विभाग को भिजवाये.

हस्ता./-
(एस. डी. अग्रवाल),
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्ष प्रकोष्ठ).

मध्यप्रदेश शासन

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2000

क्रमांक एफ. 19-34-2000/सी-1.—प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सली पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्ययोजना विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 19-15-90-सी-1, दिनांक 8/10-12-1997 द्वारा जारी की गई है तथा उक्त कार्ययोजना के अन्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 19-3-99-सी-1, दिनांक 21/28 फरवरी, 2000 द्वारा नक्सली हिंसा में मारे गए समस्त नागरिकों के आश्रित परिवारों को प्रति मृतक व्यक्ति रुपये एक लाख के मान से राहत/सहायता राशि आश्रित परिवार को गृह विभाग के बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने का प्रावधान किया गया है.

2. उक्त कार्ययोजना के अन्तर्गत नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के शारीरिक रूप से अपंग होने, गंभीर रूप से घायल होने आदि तथा किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई क्षति पहुंचती है तो इन पीड़ितों को राहत राशि देने का प्रावधान नहीं होने के कारण राहत राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है.

3. उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के शारीरिक रूप से अपंग होने, गंभीर रूप से घायल होने आदि तथा किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षति होने पर उन्हें मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना नियम, 1979 के नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार राहत/सहायता राशि गृह विभाग के बजट शीर्ष ''मांग संख्या-4-शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-60 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य योजना-2653-पुर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान सहायक अनुदान-14-आर्थिक सहायता-सहायक अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाएगी :—

1.	**घायलों को :**	
(अ)	अस्थाई असमर्थ को	रु. 50,000/- (रु. पचास हजार)
(ब)	गंभीर घायल को	रु. 10,000/- (रु. दस हजार)
2.	**स्थायी संपत्ति (मकान, दुकान आदि) :**	
(अ)	कच्चे मकान	रु. 5,000/-तक (रु. पांच हजार तक)
(ब)	पक्के मकान	रु. 15,000/-तक (रु. पंद्रह हजार तक)
3.	चल संपत्ति (अनाज, कपड़े, घरेलू सामान) के नुकसान पर	रु. 2,000/- (रु. दो हजार)
4.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे—वाहन, नाव, बैल आदि	रु. 2,000/- (रु. दो हजार)

उपरोक्त सुविधा में वे व्यक्ति परिधि में नहीं आवेंगे, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नियमों के अन्तर्गत पात्रता है.

4. उपरोक्त मद में होने वाला गृह विभाग के बजट शीर्ष ''मांग संख्या-4-शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य योजना-2653-पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान सहायक अनुदान-14-आर्थिक सहायता-सहायक अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

5. उपरोक्त मापदण्ड जारी होने के पश्चात् इस संबंध में पूर्व में दिनांक 8/10 दिसम्बर, 1997 को जारी की गई कार्ययोजना की कंडिका 20, 21 एवं 25 में शरीरिक रूप से अपंग होने, गंभीर रूप से घायल होने आदि तथा संपत्ति के आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षति होने के संबंध में किए गए प्रावधान स्वत: निष्प्रभावी हो जावेंगे.

6. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 518/आर-1681/चार/ब-5/2000, दिनांक 30-10-2000 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है.

.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(डॉ. पन्नालाल)
सचिव.

पृ. क्र. एफ. 19-34-2000/सी-1, भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2000

प्रतिलिपि :—

1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित.
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल.
3. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
4. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश.
5. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

7. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, भोपाल.
8. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मंत्रालय, भोपाल

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(डॉ. पन्नालाल)
सचिव.

मध्यप्रदेश शासन

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 31-17-99-दो-ए(3), भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर, 2000

प्रति,

(1) सचिव,
मुख्यमंत्री सचिवालय,
मंत्रालय, भोपाल.
(2) समस्त, प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
मंत्रालय, भोपाल.
(3) समस्त, विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.
(4) समस्त, संभागायुक्त,
मध्यप्रदेश.
(5) समस्त, कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.
(6) समस्त, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषय.—युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों के मध्यप्रदेश राज्य के निवासी अधिकारियों/सैनिकों की मृत्यु होने पर उनकी विधवाओं/आश्रितों एवं विकलांग हुए कर्मियों को वित्तीय सहायता.

संदर्भ.—गृह विभाग का परिपत्र क्र. एफ. 31-17-99-दो-ए(3), दिनांक 15-3-2000.

उपर्युक्त विषय पर विभाग के संदर्भित परिपत्र (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया अवलोकन कीजिए. इसके अनुक्रम में शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि इस परिपत्र के पैरा-1 के बिन्दु—

''अ'' युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में मृत सैन्य अधिकारियों/सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों को रुपये 10.00 लाख (रुपये दस लाख) केवल की धनराशि का भुगतान''.

के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाये :—

''अ'' युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में मृत अधिकारियों/सैनिकों एवं अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारियों/सैनिकों (जवानों) की विधवाओं/आश्रितों को रुपये 10.00 लाख (रुपये दस लाख) केवल की धनराशि का नगद भुगतान किया जाये.

2. संदर्भित परिपत्र दिनांक 15-3-2000 के शेष प्रावधान यथावत प्रभावशील रहेंगे.

3. इस राशि का भुगतान मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष से किया जायेगा.

.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(बी. आर. ठाकरे)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (सामान्य) विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग

क्रमांक 7946/6185/बी(1)दो/2000 भोपाल, दिनांक 27-12-2000

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश.
2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश.

विषय.—अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को नीचा दिखाने तथा कर्जदारों को डराने धमकाने बाबत्.

राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि ऋणदाता द्वारा ऋणी को प्रताड़ित किया जाता है, खासकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिक प्रताड़ित किया जाता है इस संबंध में विधिक स्थिति निम्नानुसार है:—

1. विधिक स्थिति यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कर्जदार को ऋण वसूली के लिये प्रताड़ित (Molest) करता है या ऐसी प्रताड़ना हेतु किसी को उत्प्रेरित (Abet) करता है तो ऐसे ऋणदाता (Oreditor) के विरुद्ध मध्यप्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ डैक्स एक्ट, 1937 धारा (4) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाने योग्य होगी.

2. यदि कोई व्यक्ति कर्ज लौटाने के लिए किसी व्यक्ति को अथवा अन्य व्यक्ति को क्षति करने में भय में डालकर उससे कोई संपत्ति अथवा कोई मूल्यवान विलेख देने हेतु उसे उत्प्रेरित करता है, तो वह कृत्य प्रथम दृष्टि में भारतीय दण्ड विधान की धारा 384 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा.

3. यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मृत्यु या तत्काल चोटे पहुंचाने के भय में डालकर अथवा बलपूर्वक उसकी कोई संपत्ति भैंस, स्कूटर आदि छीन लेता है तो प्रथम दृष्टि में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध लूट के अपराध के लिये धारा 392 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाने योग्य होगी.

4. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किसी सार्वजनिक स्थान पर उसे नीचा दिखाने की दृष्टि से अपमानित करता है तथा उसे अभित्रास देता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3(×) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है.

5. उपरोक्त सभी अपराध संज्ञेय हैं तथा प्रभावित कर्जदार द्वारा रिर्पोट दर्ज किये जाने पर पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए.

उपरोक्त प्रावधानों का लाभ कर्जदार/प्रभावित कमजोर व्यक्ति लें सकें, इस दृष्टि से उपरोक्त प्रावधानों की जानकारी हेतु उनके बीच उचित माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाया जाना लाभदायक हो सकता है.

हस्ता./-
(एस. बी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग.

क्रमांक 7947/6185/20001-बी(1)दो भोपाल, दिनांक 27-12-2000

प्रतिलिपि :—

1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, टी. टी. नगर, भोपाल की ओर उनके पत्र दिनांक 5-7-2000 के संदर्भ में सूचनार्थ.
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर उनकी टीप क्रमांक ए. ए. एस./2370/2000, दिनांक 26-7-2000 के संदर्भ में सूचनार्थ.
3. संचालक, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-14(ए)81/बी(1)दो भोपाल, दिनांक 18-1-2001

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
   मध्यप्रदेश.
2. समस्त जिला दण्डाधिकारी,
   मध्यप्रदेश.
3. समस्त पुलिस अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश के डकैती प्रभावित क्षेत्रों में शस्त्र लायसेंस प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने बाबत्.

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि डकैती प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को तथा डकैती पीड़ित परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लायसेंस, शस्त्र अधिनियम, 1959 एवं शस्त्र नियम, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार स्वीकृत किये जायें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एस बी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव.

पृ.क्रमांक एफ-14(ए)81/बी(1)दो भोपाल, दिनांक 18-1-2001

प्रतिलिपि:—

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. पुलिस महानिरीक्षक, समस्त, मध्यप्रदेश
की ओर सूचनार्थ प्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-1(ए) 13/2001/ब-2/दो भोपाल, दिनांक 29-1-2001

प्रति,

पुलिस महानिदेशक एवं
पुलिस महानिरीक्षक,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय.—भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया का पुनरीक्षण.

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन उक्त अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली को पुनरीक्षित कर संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार निर्धारित करता है.

2. ये आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावशील होगा.

संलग्न.—उपरोक्तानुसार एक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एस. डी. अग्रवाल)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग.

पृ. क्र. एफ-1(ए) 13/2001/ब-2/दो भोपाल, दिनांक 29-1-2001

प्रतिलिपि:—

1. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
2. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
4. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश.
5. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.
6. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
7. माननीय मुख्यमंत्रीजी के सचिव, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
8. मान. गृह मंत्री जी के विशेष सहायक, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
9. मान. गृह राज्य मंत्री के विशेष सहायक, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
10. रजिस्टार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर, मध्यप्रदेश.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग.

परिशिष्ट ''अ''

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का पत्रक

क्र	अधिकारी जिसकी रिपोर्ट लिखी जाना है	प्रतिवेदन अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रतिकूल टीका संसूचित की जावेगी	स्थान जहां रखी जावेगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पुलिस महानिदेशक	मुख्य सचिव	गृह मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्य शासन	गृह विभाग
2	अति. पुलिस महानिदेशक	पुलिस महानिदेशक	गृह मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्य शासन	गृह विभाग
3	पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस मुख्यालय)	संबंधित अति. पुलिस महानिदेशक	पुलिस महानिदेशक	गृह मंत्री	राज्य शासन	गृह विभाग
4	पुलिस महानिरीक्षक (रेंज)	पुलिस महानिदेशक	गृह मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्य शासन	गृह विभाग
5	उप पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस मुख्यालय)	पुलिस महानिरीक्षक/ अति. पुलिस महानिदेशक	पुलिस महानिदेशक	गृह मंत्री	राज्य शासन	गृह विभाग
6	उप पुलिस महानिरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल)	पुलिस महानिरीक्षक (वि.स.बल)/ अति. पुलिस महानिदेशक (वि.स.बल)	पुलिस महानिदेशक	गृह मंत्री	राज्य शासन	गृह विभाग
7	पुलिस अधीक्षक	रेंज पुलिस महानिरीक्षक	पुलिस महानिदेशक	मुख्यमंत्री	राज्य शासन	गृह विभाग
8	पुलिस अधीक्षक (पुलिस मुख्यालय)	पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस महानिरीक्षक	अति. पुलिस महानिदेशक	पुलिस महानिदेशक	राज्य शासन	गृह विभाग
9	सेनानी	संबंधित उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक (वि.स.बल)	अति. पुलिस (वि.स.बल)	पुलिस महानिदेशक	राज्य शासन	गृह विभाग
10	अति. पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक (रेंज)	पुलिस महानिदेशक	राज्य शासन	गृह विभाग
11	सहा. पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक (रेंज)	पुलिस महानिदेशक	राज्य शासन	गृह विभाग

हस्ता./-
(एस. डी. अग्रवाल)
उपसचिव,
गृह (पुलिस) विभाग.

[''मध्यप्रदेश राजपत्र'' भाग-1, भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर 1999—आश्विन 9, शक 1921 में प्रकाशित]

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 1999

क्र. 1 (ए)-31-99-ब-2-दो.—पुलिस अधिनियम, 1861 (5 सन् 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन में निम्नांकित आंशिक संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त रेग्युलेशन में शब्द ''उप महानिरीक्षक (रेंज)'' जहां कहीं भी वे आए हों, वहां उनके स्थान पर शब्द ''महानिरीक्षक (रेंज)'' स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्हें सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 1999

क्र. 1 (ए)-31-99-ब-2-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 सितम्बर 1999 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्हें सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 8th September 1999

No. F. 1(A)-31-99-B-2-Two.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of Section 46 read with Section 2 of the Police Act, 1861 (No. V of 1861), the State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Police Regulations, namely ;—

AMENDMENT

In the said Regulation for the words "Deputy Inspector General (Range)" wherever they occur the words "Inspector General (Range)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Preadesh,
NANHEY SINGH, Principal Secy.

[''मध्यप्रदेश राजपत्र'' भाग-1, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2000 में प्रकाशित]

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2000

क्र. एफ. 1-32-99-ब-2-दो.—पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन में निम्नांकित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में, विनियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

12. **रेंज.**—प्रशासनिक प्रयोजन के लिये राज्य को रेंजों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक रेंज एक महानिरीक्षक के प्रभार में है. रेंजों में निम्नलिखित जिले समाविष्ट हैं :—

क्रमांक (1)	रेंज का नाम तथा मुख्यालय (2)	रेंज में सम्मिलित जिले (3)
1.	भोपाल रेंज, मुख्यालय भोपाल	1. भोपाल 2. सीहोर 3. विदिशा 4. राजगढ़
2.	होशंगाबाद रेंज, मुख्यालय होशंगाबाद	1. होशंगाबाद 2. हरदा 3. बैतूल 4. रायसेन
3.	ग्वालियर रेंज, मुख्यालय ग्वालियर	1. ग्वालियर 2. गुना 3. शिवपुरी
4.	चम्बल रेंज, मुख्यालय ग्वालियर	1. भिण्ड 2. मुरैना 3. श्योपुर 4. दतिया
5.	इन्दौर रेंज, मुख्यालय इन्दौर	1. इन्दौर 2. झाबुआ 3. धार 4. खण्डवा 5. खरगोन 6. बड़वानी

(1)	(2)	(3)
6.	उज्जैन रेंज, मुख्यालय उज्जैन	1. उज्जैन 2. देवास 3. मन्दसौर 4. नीमच 5. रतलाम 6. शाजापुर
7.	जबलपुर रेंज, मुख्यालय जबलपुर	1. जबलपुर 2. कटनी 3. छिन्दवाड़ा 4. नरसिंहपुर 5. सिवनी
8.	सागर रेंज, मुख्यालय सागर	1. सागर 2. टीकमगढ़ 3. छतरपुर 4. पन्ना 5. दमोह
9.	बिलासपुर रेंज, मुख्यालय बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. कोरबा 3. जांजगीर (चांपा) 4. सरगुजा 5. कोरिया (बैकुण्ठपुर) 6. रायगढ़ 7. जशपुर
10.	रीवा रेंज, मुख्यालय रीवा	1. रीवा 2. सतना 3. सीधी 4. शहडोल 5. उमरिया
11.	रायपुर रेंज, मुख्यालय रायपुर	1. रायपुर 2. धमतरी 3. दुर्ग 4. महासमुन्द
12.	बस्तर रेंज, मुख्यालय जगदलपुर	1. बस्तर 2. कांकेर 3. दन्तेवाड़ा
13.	बालाघाट रेंज, मुख्यालय बालाघाट	1. बालाघाट 2. मण्डला 3. डिण्डोरी 4. राजनांदगांव 5. कवर्धा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नन्हें सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2000

क्र. एफ. 1-32-99-ब-2-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्हें सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 3rd August 2000

No. F. 1-32-99-B-2-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of Section 46 read with Section 2 of the Police Act, 1861 (No. V of 1861), the State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Police Regulations, namely :—

AMENDMENT

In the said Regulation, for regulation 12, the following Regulation shall be substituted, namely :—

12. **Range.**—For administrative purpose, the State is divided into Ranges each being in charge of an Inspector General. The Ranges are comprised of the following districts :—

S. No. (1)	Name and headquarters of the Range (2)	District included in the Range (3)
1.	Bhopal Range, H.Q. Bhopal	1. Bhopal 2. Sehore 3. Vidisha 4. Rajgarh
2.	Hoshangabad Range, H.Q. Hoshangabad	1. Hoshangabad 2. Harda 3. Betul 4. Raisen
3.	Gwalior Range, H.Q. Gwalior	1. Gwalior 2. Guna 3. Shivpuri
4.	Chambal Range, H.Q. Gwalior	1. Bhind 2. Morena 3. Sheopur 4. Datia
5.	Indore Range, H.Q. Indore	1. Indore 2. Jhabua 3. Dhar 4. Khandwa 5. Khargone 6. Badwani
6.	Ujjain Range, H.Q. Ujjain	1. Ujjain 2. Dewas 3. Mandsaur 4. Neemuch

(1)	(2)	(3)
		5. Ratlam 6. Shajapur
7.	Jabalpur Range, H.Q. Jabalpur	1. Jabalpur 2. Katni 3. Chindwara 4. Narsinghpur 5. Seoni
8.	Sagar Range, H.Q. Sagar	1. Sagar 2. Tikamgarh 3. Chhatarpur 4. Panna 5. Damoh
9.	Bilaspur Range, H.Q. Bilaspur	1. Bilaspur 2. Korba 3. Janjgir-Champa 4. Sarguja 5. Koria (Baikunthpur) 6. Raigarh 7. Jashpur
10.	Rewa Range, H.Q. Rewa	1. Rewa 2. Satna 3. Sidhi 4. Shahdol 5. Umaria
11.	Raipur Range, H.Q. Raipur	1. Raipur 2. Dhamtari 3. Durg 4. Mahasamund
12.	Bastar Range, H.Q. Jagdalpur	1. Bastar 2. Kanker 3. Dantewada
13.	Balaghat Range, H.Q. Balaghat	1. Balaghat 2. Mandla 3. Dindori 4. Rajnandgaon 5. Kawardha

By order and in the name of the Governor of Madhya Preadesh,
NANHEY SINGH, Principal Secy,

[''मध्यप्रदेश राजपत्र'' भाग-1, शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2000 में प्रकाशित]

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2000

क्र. एफ. 1-32-99-ब-2-दो.—पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में, विनियम 12 में,—

(एक) अनुक्रमांक 11 के सामने, कालम (3) में, अनुक्रमांक 4 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

''5. राजनांदगाव
6. कवर्धा.''

(दो) अनुक्रमांक 13 के सामने, कालम (3) में, अनुक्रमांक 4 तथा 5 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्हें सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2000

क्र. एफ. 1-32-99-ब-2-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 दिसम्बर 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्हें सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 6th December 2000

No. F. 1-32-99-B-2-Two.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of Section 46 read with Section 2 of the Police Act, 1861 (No. V, of 1861), the State Government hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Police Regulations, namely ;—

AMENDMENT

In the said Regulation, In Regulation 12,—

(i) Against serial number 11, in Column (3), after serial number 4, the following serial number and entries relating there to shall be added, namely :—

"5. Rajnandgaon
6. Kawardha."

(i) Against serial number 13, in Column (3), the serial number 4 and 5 entries relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NANHEY SINGH, Principal Secy.

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-5-54/95/बी-3/दो, भोपाल, दिनांक 12-2-2001

प्रति,

संचालक,
लोक अभियोजन संचालनालय.
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय.—उप संचालक (अभियोजन) को नियंत्रण अधिकारी घोषित करने बाबत्.
संदर्भ.—आपका पत्र क्र. लो. अ. सं./लेखा/1326/2000, दिनांक 15-12-2000.

राज्य शासन एतद्द्वारा वित्तीय कार्य के नियंत्रण के लिये वित्त संहिता भाग-1 के नियम-2 के सहायक नियम-8 तथा बुक ऑफ फायनेंशियल पॉवर्स, 1995 के भाग-1 के सेक्शन-1 के सरल क्रमांक-4 के अनुसार उप संचालक (अभियोजन) को नियंत्रण अधिकारी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(वी. के. सिंह)
अपर सचिव,
म. प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग.

पृ. क्रमांक एफ-5-54/95/बी-3/दो, भोपाल, दिनांक 12-2-2001

प्रतिलिपि :

1. सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
2. सचिव, म. प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
3. पुलिस महानिदेशक, म. प्र., भोपाल.
4. महालेखाकार, म. प्र., ग्वालियर.
5. संचालक, कोषालय, भोपाल.
6. समस्त कमिश्नर्स, मध्यप्रेदश.
7. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रेदश.
8. समस्त पुलिस अधीक्षक.
9. समस्त उप संचालक, लोक अभियोजन, म. प्र.
10. समस्त जिला अभियोजन अधिकारी, म. प्र.
11. समस्त कोषालय अधिकारी, म. प्र.
12. नियंत्रक, शास. मुद्रणालय की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ.

हस्ता./-
अपर सचिव,
म. प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग.

शाकेमुभो—71—उसगृ(सा)विभो—16-4-2001—300.